



निविदा आमंत्रण सूचना
निविदा की अनुसूची
(केवल ई-अधिप्राप्ति के माध्यम से)

ई-निविदा संख्या	आरबीआई/अगरतला/एस्टेट/4/25-26/ईटी/656
ई-टेंडर का नाम	भारतीय रिजर्व बैंक, अगरतला में स्थित मुख्य कार्यालय परिसर हेतु प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी (अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए) उपलब्ध करने हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध
a) अनुमानित कीमत	₹26,00,000/- (केवल छब्बीस लाख रुपये)
b) ई-टेंडर की प्रणाली	ई-अधिप्राप्ति प्रणालियां (ऑनलाइन भाग I – तकनीकी बोली और भाग II – मूल्य बोली) www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi के माध्यम से
c) ई-टेंडर का प्रकार	खुली (दो-बोली प्रणाली)
d) ई-निविदा सूचना के वैबसाइट पर उपलब्ध होने की तारीख	02 दिसंबर, 2025 को दोपहर 12:00 बजे से
e) बोली-पूर्व बैठक की तिथि, समय और स्थान	ऑफलाइन: 08 दिसंबर 2025 को दोपहर 03:00 बजे स्थान: भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरी मंजिल, जैकसन गेट बिल्डिंग, लेनिन सरणी, अगरतला - 799 001
(i) NEFT / नेट बैंकिंग के ज़रिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) करें और MSTC पोर्टल पर डिटेल्स अपलोड करें। साथ ही, ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स (UTR नंबर) भी बताएं/फॉरवर्ड करें। ई-मेल: psocellagartala@rbi.org.in	₹52,000/- (रुपये बावन हजार मात्र) केवल एनईएफटी / नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान किया गया: लाभार्थी का नाम - भारतीय रिजर्व बैंक लाभार्थी खाता संख्या – 8614038 आईएफएससी - RBIS0AGPA01 (5 वां और 10 वां अंक शून्य हैं)
(ii) ई-टेंडर शुल्क	शून्य

g) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि। (एनईएफटी विवरण (यूटीआर संख्या) की हार्ड कॉपी टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि से पहले (हस्तदाती / पोस्ट / कूरियर द्वारा) प्रस्तुत की जानी चाहिए (यदि लागू हो तो)	19 दिसंबर 2025 को अपराह्न 03:00 बजे तक
h) ऑन-लाइन तकनीकी बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-टेंडर की शुरुआत की तारीख http://mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर	02 दिसंबर, 2025 को दोपहर 02:00 बजे से
i) तकनीकी बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद करने की तिथि।	दिसंबर 22, 2025 को अपराह्न 12:00 बजे तक
j) भाग-I (अर्थात तकनीकी बोली) के खुलने की तिथि और समय । भाग-II यानी मूल्य बोली खोलने की तिथि अलग से सूचित की जाएगी	दिसंबर 22, 2025 को अपराह्न 03:00 बजे
k) ई-टेंडर की वैधता	तकनीकी बोली खुलने की तिथि से 90 दिन
l) लेनदेन शुल्क (गैर-वापसी योग्य) (MSTC ई-टेंडर में भाग लेने के लिए एएमएसटीसी (MSTC) ई-भुगतान गेटवे को निविदा कारों द्वारा अलग से भुगतान किया जाएगा)	MSTC भुगतान गेटवे / NEFT / RTGS के माध्यम से MSTC पोर्टल में उल्लिखित लेन देन शुल्क का भुगतान MSTC के पक्ष में करें



भारतीय रिजर्व बैंक
अगरतला

भारतीय रिजर्व बैंक / अगरतला
आरबीआई/अगरतला/एचआरएमडी/4/25-26/ईटी/656

ई-टेंडर हेतु

भारतीय रिजर्व बैंक, अगरतला में स्थित मुख्य कार्यालय परिसर हेतु प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी (अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए) उपलब्ध करने हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध।



दावात्याग / DISCLAIMER

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, एचआरएमडी, अगरतला ने यह डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखने वालों को बैकग्राउंड जानकारी देने के लिए तैयार किया है। हालांकि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने इसमें दी गई जानकारी को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती है और मानता है कि यह सही है, फिर भी न तो रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया और न ही इसकी कोई अथॉरिटी या एजेंसी और न ही उनके कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस डॉक्यूमेंट में दी गई जानकारी या इसके साथ दी गई किसी भी जानकारी के पूरा होने या सही होने के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई रिप्रेजेंटेशन देते हैं, चाहे वह साफ़ तौर पर हो या छिपा हुआ।

यह जानकारी पूरी नहीं है। जो लोग इंटरस्टेड हैं, उन्हें खुद पूछताछ करनी होगी और जवाब देने वालों को लिखकर कन्फर्म करना होगा कि उन्होंने ऐसा किया है, और वे टेंडर जमा करते समय सिर्फ़ RBI द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर दी गई है कि यह रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया या उसकी किसी भी अथॉरिटी या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार के लिए नॉन-बाइंडिंग है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास परियोजना की प्रक्रिया शुरू करने या परियोजना का स्वरूप बदलने, आईएस दस्तावेज़ में प्रदर्शित समय सारणी में परिवर्तन करने या लागू करने की जाने वाली प्रक्रिया या क्रियाविधि में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा। उसे इच्छा प्रकट करने वाले किसी पक्ष से इस मामले में आगे किसी प्रकार की चर्चा न करने का भी अधिकार होगा। इच्छा प्रकट करने वाले व्यक्तियों या निम्नानुसार को किसी प्रकार के खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।



भारतीय रिज़र्व बैंक
अगरतला

ई - निविदा सूचना / निविदा आमंत्रण सूचना

फायर सेफ्टी सर्विस देने के लिए ट्रेड फायरफाइटिंग स्टाफ देने के लिए ई-टेंडर_आरबीआई कार्यालय परिसर में स्थित अगरतला में, शुरुआती समय एक साल यानी 1 जनवरी, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक होगा। हालांकि, कॉन्ट्रैक्ट को दो और सालों के लिए, एक बार में एक साल के लिए, या बैंक को ज़रूरी लगने वाले किसी और समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते टेंडर देने वाला ठीक-ठाक काम करे और कॉन्ट्रैक्ट की ज़िम्मेदारियों का पालन करे।

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, अगरतला, “ अगरतला में मौजूद RBI ऑफिस परिसर में फायर सेफ्टी सर्विस देने के लिए ट्रेड फायरफाइटिंग स्टाफ देने” के लिए ई-टेंडर मंगा रहा है। ई-टेंडरिंग MSTC Ltd के ई-टेंडरिंग पोर्टल (<http://mstcecommerce.com/eprochome/rbi>) के ज़रिए की जाएगी। सभी एलिजिबल और इंटरस्टेड कंपनियों/एजेंसियों/फर्मों को ई-टेंडरिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए ऊपर बताई गई वेबसाइट के ज़रिए MSTC Ltd के साथ खुद को रजिस्टर करना होगा।

2. जरूरतमंद निविदाकर्ता ₹52,000/- (रुपये बावन हजार मात्र) एनईएफटी / नेट बैंकिंग के माध्यम से बयाना राशि के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को भुगतान करेंगे।

3. आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को आवश्यक पात्रता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, बैंक को उनकी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है। ईएमडी के बिना ई-निविदा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। हालांकि, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले पात्र पंजीकृत एमएसएमई (एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2018 के अनुसार) को वैध दस्तावेज जमा करने पर बयाना राशि जमा के भुगतान से छूट दी गई है।

4. बैंक न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

भविष्य में जारी किए गए किसी भी संशोधन / शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल RBI वेबसाइट और MSTC वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा जैसा कि ऊपर दिया गया है और अखबार में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
अगरतला



**भारतीय रिजर्व बैंक
अगरतला**

अगरतला में RBI ऑफिस परिसर में फायर सेफ्टी सर्विस देने के लिए टेंडर फायरफाइटिंग स्टाफ के लिए सालाना
सर्विस कॉन्ट्रैक्ट
सूची / सूचकांक

अनुभाग /अनुलग्नक		विवरण / विवरण	पृष्ठ संख्या Page No.
भाग I			
खंड I		टेंडर का शेड्यूल	6
खंड II		ई - अधिप्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण निर्देश	9
खंड III		बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश	13
खंड IV		मूल्यांकन / चयन मापदंड	21
खंड V	अनुबंध- में	कार्य का व्यापक दायरा	23
	अनुबंध- II	सामान्य नियम और शर्तें	25
	अनुबंध- III	अग्निशमन अधिकारी और अग्निशमन कर्मचारियों के कर्तव्य और दायित्व	38
	अनुबंध- IV	तकनीकी बोली का प्रपत्र - 1	44
	अनुबंध- V	तकनीकी और वित्तीय बोलियों के संबंध में सामान्य निर्देश	46
खंड VI	अनुबंध- VI	निविदाकर्ता कंपनी/फर्म का विवरण	51
	अनुबंध- VII	बैंकों का विवरण	53
	अनुबंध- आठवीं	तकनीकी मूल्यांकन के लिए चेकलिस्ट	54
	अनुबंध- IX	अग्निशमन सेवाएं प्रदान करने वाली फर्म/एजेंसी/कंपनी के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक प्रमाण पत्र	56
	अनुलग्नक - X	बैंकर्स प्रमाणपत्र का प्रपत्र	57
भाग-II			
खंड VI	अनुलग्नक - XI	वित्तीय बोली का प्रोफार्मा	58
	अनुलग्नक - XII	मजदूरी दरों का विश्लेषण (दरों का विभाजन)	59

खंड - I

निविदा की अनुसूची / निविदा का अनुसूची
(केवल ई - अधिप्राप्ति के माध्यम से / Only through e-procurement)

ई - निविदा संख्या / ई-टेंडर नंबर.	आरबीआई/अगरतला/एचआरएमडी/4/25-26/ईटी/656
ई - टेंडर का नाम	भारतीय रिजर्व बैंक, अगरतला में स्थित मुख्य कार्यालय परिसर हेतु प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी (अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए) उपलब्ध करने हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध
a) अनुमानित कीमत	₹26,00,000/- (केवल छब्बीस लाख रुपये)
b) ई - टेंडर की प्रणाली	ई - अधिप्राप्ति प्रणालियां (ऑनलाइन भाग I – तकनीकी बोली और भाग II – मूल्य बोली) www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi के माध्यम से ई-खरीद प्रणाली (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी बोली और पार्ट II - प्राइस बिड) www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi के ज़रिए
c) ई - टेंडर का प्रकार	खुली (दो-बोली प्रणाली)
d) ई – निविदा सूचना के वैबसाइट पर उपलब्ध होने की तारीख	02 दिसंबर 2025 को दोपहर 12:00 बजे से
e) बोली-पूर्व बैठक की तिथि , समय और स्थान	ऑफलाइन : 08 दिसंबर 2025 को दोपहर 03:00 बजे स्थान : भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरी मंजिल, जैकसन गेट बिल्डिंग, लेनिन सरणी, अगरतला - 799 001
(i) बयाना राशि जमा करने का विवरण एएमएसटीसी वैबसाइट पर डालें एवं लेन-देन विवरण (यूटीआर संख्या) भी अंतरंग/ अग्रेषित करें। ईमेलपता: psocellAgartala@rbi.org.in	₹52,000/- (रुपये बावन हजार मात्र केवल एनईएफटी / नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान किया गया : लाभार्थी का नाम - भारतीय रिजर्व बैंक लाभार्थी खाता संख्या – 8614038
(ii) NEFT / नेट बैंकिंग के ज़रिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) करें और MSTC पोर्टल पर डिटेल्स अपलोड करें। साथ ही, ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स (UTR नंबर) भी बताएं/फॉरवर्ड करें। ई-मेल: psocellagartala@rbi.org.in	आईएफएससी - RBIS0AGPA01 (5 वां और 10 वां अंक शून्य है)

(ii) ई - टेंडर शुल्क	शून्य
जी) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि। (एनईएफटी विवरण (यूटीआर संख्या) की हार्ड कॉपी टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि से पहले (हस्तदाती / पोस्ट / कूरियर द्वारा) प्रस्तुत की जानी चाहिए (यदि लागू हो तो)	19 दिसंबर 2025 को अपराह्न 03:00 बजे तक
h) ऑन - लाइन तकनीकी बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई - टेंडर की शुरुआत की तारीख http://mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर	02 दिसंबर, 2025 को दोपहर 02:00 बजे से
i) तकनीकी बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई - निविदा बंद करने की तिथि।	दिसंबर 22 , 2025 को अपराह्न 12:00 बजे तक
j) भाग - I (अर्थात तकनीकी बोली) के खुलने की तिथि और समय । भाग -II यानी मूल्य बोली खोलने की तिथि अलग से सूचित की जाएगी	दिसंबर 22 , 2025 को अपराह्न 03:00 बजे
k) ई - टेंडर की वैधता	तकनीकी बोली खुलने की तिथि से 90 दिन
h) लेनदेन शुल्क (गैर-वापसी योग्य) (MSTC ई-टेंडर में भाग लेने के लिए एएमएसटीसी (MSTC) ई-भुगतान गेटवे को निविदा कारों द्वारा अलग से भुगतान किया जाएगा)	MSTC भुगतान गेटवे / NEFT / RTGS के माध्यम से MSTC पोर्टल में उल्लिखित लेन देन शुल्क का भुगतान MSTC के पक्ष में करें /

खंड – II

ई - अधिप्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण निर्देश – खरीदें

ई-प्रोक्वायरमेंट के लिए जरूरी निर्देश

यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगरतला का एक ई-प्रोक्वायरमेंट इवेंट है। प्रोक्वायरमेंट सर्विस प्रोवाइडर/कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर MSTC लिमिटेड है। बिडर्स से रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन टेंडर सबमिट करने से पहले इस ई-टेंडर के टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ और समझ लें।

1	ई-टेंडर की प्रक्रिया: ए) रजिस्ट्रेशन: इस प्रोसेस में MSTC ई-प्रोक्वायरमेंट पोर्टल पर वेंडर का रजिस्ट्रेशन शामिल है जो फ्री है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही, वेंडर अपनी बिड इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा कर सकते हैं। टेक्निकल बिड के साथ-साथ कमर्शियल बिड जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग इंटरनेट पर की जाएगी। वेंडर के पास क्लास III साइनिंग टाइप डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए। वेंडर को इंटरनेट से जुड़े पर्सनल कंप्यूटर/लैपटॉप से बिडिंग के लिए खुद अरेंजमेंट करना होगा। MSTC ऐसा अरेंजमेंट करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (बिड डिजिटल सिग्नेचर के बिना रिकॉर्ड नहीं की जाएगी)। स्पेशल नोट: टेक्निकल बिड और कमर्शियल बिड www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑनलाइन जमा करनी होगी। i) प्रोसेस को फॉलो करके खुद को ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्वायरमेंट → PSU/सरकारी विभाग → RBI लोगो चुनें > वेंडर के तौर पर रजिस्टर करें -- डिटेल्स भरें और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं → सबमिट करें। ii). वेंडर्स को उनके रजिस्ट्रेशन को कन्फर्म करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल उनके ईमेल पर मिलेगा, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय दिया गया था। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए, कृपया RBI या MSTC से (ई-टेंडर के तय समय से पहले) संपर्क करें। <u>MSTC संपर्क व्यक्ति</u> MSTC नॉर्थईस्ट ऑफिस, गुवाहाटी का कॉन्टैक्ट नंबर: 03612221199 1. श्री देबयान कर, सहायक प्रबंधक (उत्तर-पूर्व शाखा कार्यालय) ईमेल- ghyopn3@mstcindia.in, फोन- 9831149790 2. श्री प्रशांत चित्तरंजन, प्रबंधक (उत्तर-पूर्व शाखा कार्यालय), ईमेल- ghyopn2@mstcindia.in फोन- 8592888286 3. श्री अरुण कुमार, शाखा प्रबंधक (उत्तर-पूर्व शाखा कार्यालय), ईमेल- bmghymstc@mstcindia.in, फोन- 03612221199 <u>RBI अगरतला में संपर्क व्यक्ति</u> (i) श्री मोनोजीत देब, सहायक प्रबंधक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगरतला। ईमेल: mdeb@rbi.org.in, फोन नंबर: 0381-2381061 (ii) श्री मनोज राउल, सहायक प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, अगरतला। ईमेल: manojroul@rbi.org.in, फोन नंबर: 0381-2381061 (iii) श्री सुनील निगम, सहायक महाप्रबंधक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगरतला। ईमेल: sunilnigam@rbi.org.in फोन नंबर: 0381-2381061
---	---

	B) सिस्टम की ज़रूरतें: ज्यादा जानकारी के लिए, वेंडर https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर मौजूद DOWNLOAD SYSTEM ETTING GUIDE देख सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए, वेंडर www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर मौजूद वेंडर गाइड और FAQ देख सकता है।
2	टेक्नो-कमर्शियल बिड और प्राइस बिड www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑनलाइन जमा करनी होगी। हालांकि, टेक्नो कमर्शियल बिड में ऑनलाइन जमा किए गए सभी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी EMD डिमांड ड्राफ्ट के साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, थर्ड फ्लोर, RBI अगरतला में रखे टेंडर बॉक्स में जमा करनी होगी।
3	टेंडर में सभी एंट्री बिना किसी कन्फ्यूजन के ऑनलाइन टेक्निकल और कमर्शियल फॉर्मेट में डाली जानी चाहिए।
4	ट्रांज़ैक्शन फीस के लिए खास नोट: वेंडर्स को वेंडर लॉगिन में “My Menu” के अंदर “Transaction Fee Payment” लिंक का इस्तेमाल करके ट्रांज़ैक्शन फीस देनी होगी। वेंडर्स को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से खास टेंडर चुनना होगा। वेंडर के पास NEFT या ऑनलाइन पेमेंट से पेमेंट करने की सुविधा होगी। NEFT चुनने पर, वेंडर एक फॉर्म भरकर चालान जेनरेट करेगा। वेंडर चालान पर छपी जानकारी के अनुसार ट्रांज़ैक्शन फीस की रकम बिना कोई बदलाव किए भेज देगा। ऑनलाइन पेमेंट चुनने पर, वेंडर के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके पेमेंट करने की सुविधा होगी। MSTC के तय बैंक अकाउंट में पेमेंट जमा होने के बाद, ट्रांज़ैक्शन फीस अपने आप ऑथराइज़ हो जाएगी, और वेंडर को सिस्टम से एक मेल मिलेगा। <u>ट्रांज़ैक्शन फीस नॉन-रिफंडेबल है।</u> <u>ट्रांज़ैक्शन फीस का पेमेंट किए बिना किसी वेंडर को ऑनलाइन ई-टेंडर का एक्सेस नहीं मिलेगा।</u> <u>नोट:</u> बिड लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे इवेंट के बंद होने के समय से काफी पहले ट्रांज़ैक्शन फीस जमा कर दें, ताकि उन्हें बिड जमा करने के लिए काफी समय मिल सके।
5	टेंडर/शुद्धिपत्र अपलोड करने की जानकारी टेंडर फाइनल होने तक प्रोसेस के दौरान सिर्फ ईमेल से भेजी जाएगी। इसलिए वेंडर्स को यह पक्का करना होगा कि MSTC के साथ वेंडर के रजिस्ट्रेशन के समय दी गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल ID वैलिड और अपडेटेड हो। वेंडर्स से यह भी रिक्वेस्ट है कि वे अपने DSC (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैलिडिटी पक्का करें।
6	NIT में बताई गई तारीख और समय के बाद ई-टेंडर एक्सेस नहीं किया जा सकता।
7	ई-टेंडर में बोली: a) वेंडर को ई-टेंडर में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए ज़रूरी EMD, टेंडर फीस और ट्रांज़ैक्शन फीस (अगर कोई हो) जमा करनी होगी। टेंडर फीस और ट्रांज़ैक्शन फीस नॉन-रिफंडेबल हैं। EMD सिर्फ NEFT क्रेडिट के तौर पर नीचे दिए गए अकाउंट में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, अगरतला के नाम पर दी जाएगी। EMD पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। जो वेंडर फेल हो जाएंगे, उनकी EMD टेंडर बुलाने वाली अथॉरिटी वापस कर देगी। लाभार्थी का नाम: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, अगरतला लाभार्थी खाता संख्या: 8614038 IFSC: RBIS0AGPA01 (5^{वां} और 10^{वां} अंक शून्य है) EMD जमा करने का सबूत MSTC पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

	टेंडर प्रोसेस में हिस्सा लेने वाले एलिजिबल रजिस्टर्ड MSEs (माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज (MSE) ऑर्डर, 2018 के लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अनुसार) को वैलिड डॉक्यूमेंट्स जमा करने पर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के पेमेंट से छूट दी गई है। b) इस प्रोसेस में टेक्निकल और कमर्शियल बिड जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग शामिल है। c) जिन वेंडर ने ट्रांज़ैक्शन फ़ीस जमा कर दी है, वे अपनी टेक्निकल बिड और कमर्शियल बिड सिर्फ़ इंटरनेट के ज़रिए MSTC वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → PSU/ सरकारी विभाग → RBI के तहत लॉगिन → मेरा मेनू → ऑक्शन फ़्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन कर सकते हैं। d) वेंडर को JAVA एप्लीकेशन चलाना आना चाहिए। यह काम बिड फ़्लोर खुलने के तुरंत बाद करना होगा। फिर उन्हें कॉमन टर्म्स/कमर्शियल स्पेसिफिकेशन भरना होगा और उसे सेव करना होगा। उसके बाद टेक्निकल बिड पर क्लिक करें। अगर यह एप्लीकेशन नहीं चलाया जाता है, तो वेंडर अपनी टेक्निकल बिड सेव/सबमिट नहीं कर पाएगा। e) टेक्निकल बिड भरने के बाद, वेंडर को अपनी टेक्निकल बिड रिकॉर्ड करने के लिए 'save' पर क्लिक करना चाहिए। ऐसा करने के बाद, कमर्शियल बिड लिंक एक्टिव हो जाता है और उसे भरना होता है और फिर वेंडर को अपनी कमर्शियल बिड रिकॉर्ड करने के लिए "save" पर क्लिक करना चाहिए। फिर जब टेक्निकल बिड और कमर्शियल बिड दोनों सेव हो जाएं, तो वेंडर अपनी बिड रजिस्टर करने के लिए "Final submission" बटन पर क्लिक कर सकता है। f) वेंडर्स को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए अटैच बटन का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा सकते हैं। g) सभी मामलों में, वेंडर को अपनी बिड जमा करते समय डिजिटल सिग्नेचर के साथ अपनी ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। h) पूरे ई-टेंडर प्रोसेस के दौरान, वेंडर एक-दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे। i) ई-टेंडर पहले से बताई गई तारीख और समय से और ऊपर बताए गए समय तक खुला रहेगा। j) ई-टेंडर प्रोसेस के दौरान सबमिट की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बिड वेंडर पर कानूनी तौर पर लागू होंगी। किसी भी बिड को उस वेंडर की दी गई वैलिड बिड माना जाएगा और बायर के उसे स्वीकार करने से बायर और वेंडर के बीच सप्लाई के लिए एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। k) यह ज़रूरी है कि सभी बिड्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ सबमिट की जाएं, नहीं तो सिस्टम उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। l) खरीदार के पास बिना कोई कारण बताए, जैसा भी मामला हो, टेंडर को पूरी तरह या कुछ हिस्से में कैंसल करने, रिजेक्ट करने, स्वीकार करने, वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार है। m) टेंडर डॉक्यूमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई भी बदलाव मंज़ूर नहीं है। किसी भी वेंडर का ई-टेंडर फ़्लोर में बिड जमा करना यह कन्फर्म करता है कि उसने टेंडर के टर्म्स एंड कंडीशंस मान लिए हैं।
8	इस टेंडर से होने वाला कोई भी ऑर्डर इसमें बताए गए टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से होगा।
9	टेक्निकल और कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।
10	टेंडर बुलाने वाली अथॉरिटी को बिना कोई कारण बताए इस ई-टेंडर को कैंसिल करने या बिड मिलने की तारीख बढ़ाने का अधिकार है।
11	वे बोली लगाने से पहले सिस्टम से परिचित होने के लिए वेंडर गाइड पढ़ें और www.mstcecommerce.com/eprochome पेज पर वीडियो देखें।

खंड – III

बोली अक्षरों के लिए सामान्य निर्देश

खंडों की तालिका

ए. सामान्य

1. निविदा और सामान्य जानकारी का दायरा
2. निषिद्ध आचरण
3. योग्य निविदाकारों / पात्रता मानदंड

बी. निविदा दस्तावेज़ की सामग्री

4. निविदा दस्तावेज़ का अनुभाग
5. निविदा दस्तावेज़ और बोली-पूर्व बैठक स्पष्टीकरण
6. निविदा दस्तावेज़ का संशोधन

सी. निविदाओं की तैयारी

7. निविदा की लागत
8. निविदा में शामिल दस्तावेज़
9. ईएमडी के रूप में निविदा सुरक्षा और लेन-देन शुल्क
10. निविदा पत्र
11. निविदाकार की योग्यता की स्थापना का दस्तावेज़
12. विभाग का दौरा
13. निविदाओं की वैधता अवधि

डी. निविदाओं का सबमिशन और खोला जाना

14. निविदाओं का प्रस्तुतीकरण और अंकन
15. टेंडर जमा करने की आखिरी तारीख
16. एक बोली प्रति बोलीदाता
17. देर निविदाओं
18. निविदा खोलना

ई. निविदाओं की परीक्षा

19. गोपनीयता
20. निविदाओं का स्पष्टीकरण

एफ. निविदा मूल्यांकन और तुलना

21. निविदाओं का मूल्यांकन
22. निविदाकार की योग्यता
23. बैंक का किसी भी टेंडर को स्वीकार करने और किसी या सभी टेंडर को अस्वीकार करने का अधिकार

जी. अनुबंध का अवार्ड

24. अवार्ड मानदंड
25. अवार्ड की अधिसूचना
26. अनुबंध पर हस्ताक्षर
27. निष्पादन सुरक्षा

ए. सामान्य	
1. टेंडर का दायरा और सामान्य जानकारी	1.1 रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, अगरतला, अगरतला में मौजूद RBI ऑफिस परिसर के लिए फायरफाइटिंग स्टाफ (फायर सेफ्टी सर्विस देने के लिए) देने के लिए ई-टेंडर मंगा रहा है। यह टेंडर शुरूआती एक साल (01 जनवरी, 2026 से 31 दिसंबर, 2026) के लिए होगा। यह कॉन्ट्रैक्ट तय शर्तों के मुताबिक होगा। हालांकि, कॉन्ट्रैक्ट को दो साल के लिए, एक बार में एक साल के लिए, या बैंक को ज़रूरी लगने वाले किसी और समय के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते टेंडर देने वाला ठीक-ठाक काम करे और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन करे। कॉन्ट्रैक्ट की अनुमानित कीमत हर साल ₹26,00,000/- (सिर्फ छब्बीस लाख रुपये) है। 1.2 काम का दायरा, नियम और शर्तें और सर्विस देने के लिए ज़रूरी फायरफाइटिंग स्टाफ की ज़्यादा जानकारी Annexure I में दी गई है। बैंक के पास फायरफाइटिंग स्टाफ की ज़रूरी संख्या बढ़ाने/घटाने का अधिकार है। अगर ज़रूरत हो, तो फर्म/कंपनी इसे काम देने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट के दौरान किसी भी समय इस्तेमाल कर सकती है। बैंक किसी भी फर्म/कंपनी को काम देने का अधिकार भी रखता है।
2. निषिद्ध प्रथाएँ	2.1 बैंक चाहता है कि टेंडर देने वाले, सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर, जो बैंक के साथ बिज़नेस संबंध रखना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट/एंगेजमेंट के समय के दौरान नैतिकता के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड का पालन करें। इस पॉलिसी के तहत, बैंक: (a) परिभाषित करता है, के लिए प्रयोजनों का यह प्रावधान, शर्तें नीचे निर्धारित किए जैसा निषिद्ध अभ्यास: i) " भ्रष्ट आचरण" का अर्थ है किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी मूल्यवान वस्तु की पेशकश करना, देना, प्राप्त करना या याचना करना; ii) " धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार" से तात्पर्य किसी भी कार्य या चूक से है, जिसमें गलत बयानी भी शामिल है, जो जानबूझकर या लापरवाही से किसी पक्ष को वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या किसी दायित्व से बचने के लिए गुमराह करता है, या गुमराह करने का प्रयास करता है;

	iii) “ज़बरदस्ती का व्यवहार” का मतलब है किसी पार्टी या पार्टी की प्रॉपर्टी को सीधे या परोक्ष रूप से नुकसान पहुँचाना या नुकसान पहुँचाने की धमकी देना, ताकि पार्टी के कामों पर गलत असर डाला जा सके; और iv) “मिलीभगत अभ्यास” मतलब एक व्यवस्था बीच में दो या अधिक पार्टियों डिजाइन को प्राप्त करना एक अनुचित उद्देश्य, जिसमें शामिल हैं को प्रभावित अनुचित कार्रवाई का एक और दल; (b) निविदा के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देगा यदि वह यह निर्धारित करता है कि पुरस्कार के लिए अनुशंसित निविदाकार ने संबंधित निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय निषिद्ध प्रथाओं में संलग्न है;; (c) किसी टेंडर देने वाले को अनिश्चित समय के लिए या एक तय समय के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, अगर किसी भी समय, बैंक यह तय करता है कि टेंडर देने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुकाबला करने या उसे पूरा करने में मना किए गए काम किए हैं। 2.2 इसके अलावा, टेंडर देने वालों को सेक्शन V (काम का बड़ा दायरा, आम नियम और शर्तें और कॉन्ट्रैक्ट की अतिरिक्त शर्तें) में बताए गए नियमों के बारे में पता होना चाहिए।
3. पात्र निविदाकार/ पात्रता मापदंड	बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने वाली एजेंसी को नीचे दी गई बेसिक मिनिमम ज़रूरतें पूरी करनी होंगी: 3.1 अनुभव (a) एयरपोर्ट, डिफेंस, PSUs, एम्बेसी, पब्लिक/प्राइवेट सेक्टर बैंक, IT सेक्टर और दूसरी जानी-मानी बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में इसी तरह के काम का कम से कम तीन (03) साल का अनुभव (30 सितंबर 2025 तक)। एप्लिकेंट को अपनी क्लाइंट लिस्ट और पिछले तीन सालों में उनके किए गए काम की डिटेल्स दिखाने वाले डॉक्यूमेंट्री सबूत देने होंगे। (b) एजेंसी सरकारी अधिकारियों के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए और एक जानी-मानी संस्था होनी चाहिए। (c) एजेंसी का अगरतला में एक ऑफिस (रजिस्टर्ड/ कॉर्पोरेट/ ब्रांच/ रीजनल/ ज़ोनल/ रिप्रेजेंटेटिव/ संपर्क) होना चाहिए। इसके लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जमा करना होगा। 3.2 हर पूरे हुए काम की मिनिमम वैल्यू । (a) हवाई अड्डे, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, दूतावासों/ वाणिज्य दूतावासों, सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र के बैंकों, आईटी क्षेत्र तथा अन्य प्रतिष्ठित बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों जैसे किसी एक

	प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठान में कम से कम 12 अग्निशमन कर्मियों की तैनाती या प्रति वर्ष ₹ 52,00,000/- (बावन लाख रुपये मात्र) से कम लागत वाले कार्य के साथ लगातार और एक साथ तीन वर्षों तक अग्निशमन सेवाएं प्रदान करना। या (b) हवाई अड्डे, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, दूतावासों/ वाणिज्य दूतावासों, सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र के बैंकों, आईटी क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों जैसे किसी भी दो प्रतिष्ठानों / प्रतिष्ठानों में कम से कम 06 अग्निशमन कर्मियों की तैनाती या प्रत्येक वर्ष ₹ 26,00,000/- (केवल छब्बीस लाख रुपये) से कम लागत वाले काम के साथ लगातार और एक साथ तीन साल तक अग्निशमन सेवाएं प्रदान करना। या (c) एयरपोर्ट, डिफेंस, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, एम्बेसी/कॉन्सुलेट, पब्लिक/ प्राइवेट सेक्टर बैंक, IT सेक्टर, और दूसरी जानी-मानी बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों जैसे किन्हीं तीन जगहों पर लगातार और एक साथ तीन साल तक फायरफाइटिंग सर्विस देना/देना, जिसमें 04 फायरफाइटिंग कर्मचारी हों या ऐसा काम जिसकी लागत ₹15,00,000/- (सिर्फ पंद्रह लाख रुपये) से कम न हो हर साल। संतोषजनक काम पूरा होने/परफॉर्मंस के लिए क्लाइंट रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तौर पर अपलोड करें (स्कैन की हुई कॉपी PDF फॉर्मेट में) उसी हिसाब से वर्क ऑर्डर सबमिट करें (Annexure IX के अनुसार) 3.3 सालाना टर्नओवर - पिछले 3 सालों में यानी 31 मार्च, 2025 तक, फायरफाइटिंग सर्विसेज़ एक्टिविटीज़ से कम से कम सालाना टर्नओवर ₹ 26,00,000/- (सिर्फ छब्बीस लाख रुपये) होना चाहिए। 3.4 रजिस्ट्रेशन. अलग-अलग रजिस्ट्रेशन जैसे PAN, GST, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, EPF रजिस्ट्रेशन, लेबर कानूनों के तहत दुकानों और एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन की कॉपी डॉक्यूमेंट्री प्रमाण के तौर पर जमा करनी होगी। 3.5 NEFT से पेमेंट लेने के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल्स और अंडरटेकिंग। उनके बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी, जैसे अकाउंट नंबर, टाइप, कब खोला गया, IFSC कोड वगैरह दी जानी चाहिए। टेंडर देने वाली फर्मों/कंपनियों का शेड्यूल्ड बैंकों में करंट अकाउंट होना चाहिए और उन्हें यह अंडरटेकिंग देनी चाहिए कि वे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) से पेमेंट लेने के लिए तैयार हैं।
--	---

B. टेंडर डॉक्यूमेंट की सामग्री	
4. निविदा दस्तावेज़ के अनुभाग	4.1 टेंडर डॉक्यूमेंट में दो हिस्से होते हैं, जिसमें नीचे बताए गए सभी सेक्शन शामिल होते हैं और इसे बिडर्स के लिए दिए गए इंस्ट्रक्शन्स के अनुसार जारी किए गए किसी भी आर्टिकल/सेक्शन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। <u>निविदा प्रक्रियाएं</u> • खंड-I: निविदा की अनुसूची • सेक्शन-II: ई-प्रोक्योरमेंट के लिए ज़रूरी निर्देश • खंड-III: बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश • खंड-IV: मूल्यांकन / चयन मानदंड <u>अनुबंध की शर्तें और अनुबंध प्रपत्र</u> • खंड-V: कार्य का व्यापक दायरा, सामान्य नियम और शर्तें तथा अग्निशमन अधिकारी और अग्निशमन कर्मचारियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ (अनुलग्नक-I से V) • खंड-VI: मानक प्रारूप (अनुलग्नक VI से XII)
5. टेंडर डॉक्यूमेंट का क्लैरिफिकेशन, प्री-बिड मीटिंग	5.1 अगर किसी टेंडर देने वाले को इस डॉक्यूमेंट पर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वह इस डॉक्यूमेंट में दिए गए ईमेल एड्रेस पर बैंक से लिखकर कॉन्टैक्ट करेगा या प्री-बिड मीटिंग के दौरान पूछताछ करेगा। 5.2 प्री-बिड मीटिंग 08 दिसंबर, 2025 को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, 2nd फ़्लोर जैक्सन गेट बिल्डिंग, लेनिन सरानी, अगरतला - 799001 में होगी। बिडर्स इस डॉक्यूमेंट में दिए गए कॉन्टैक्ट्स के अनुसार टेलीफ़ोन पर या खुद आकर भी अपनी बातें साफ़ कर सकते हैं।
6. निविदा दस्तावेज़ में संशोधन	6.1 टेंडर जमा करने की डेडलाइन से पहले किसी भी समय, बैंक RBI वेबसाइट (www.rbi.org.in) / ई-पोर्टल पर अमेंडमेंट/कॉरिजेंडम जारी करके इस डॉक्यूमेंट में बदलाव कर सकता है। 6.2 कोई भी संशोधन/कॉरिजेंडम इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा होगा। 6.3 टेंडर देने वालों को अपनी बिड्स तैयार करने में किसी भी/सभी बदलावों/कॉरिजेंडम को ध्यान में रखने के लिए सही समय देने के लिए, बैंक अपनी मर्जी से टेंडर जमा करने की डेडलाइन बढ़ा सकता है।

C. निविदाओं की तैयारी	
7. निविदा की लागत	7.1 टेंडर देने वाले को अपने टेंडर को तैयार करने और जमा करने से जुड़े सभी खर्च उठाने होंगे, और टेंडरिंग प्रोसेस का तरीका या नतीजा कुछ भी हो, बैंक उन खर्चों के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।
8. टेंडर में शामिल दस्तावेज़	8.1 टेंडर में ये चीज़ें शामिल होंगी: • निविदा आमंत्रण सूचना • तकनीकी बोली विवरण • वित्तीय बोली विवरण • बयाना राशि इच्छुक निविदाकर्ताओं को ₹ 52,000/- (बावन हजार रुपये) की राशि जमा करनी होगी (सिर्फ NEFT/ नेट बैंकिंग से पेमेंट) लाभार्थी का नाम- भारतीय रिजर्व बैंक लाभार्थी खाता संख्या – 8614038 IFSC - RBIS0AGPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है) • सफल टेंडर देने वालों को कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद परफॉर्मंस बैंक गारंटी देनी होगी। • कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट (सफल टेंडर देने वालों को कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद)।
9. टेंडर सिक्योरिटी और ट्रांज़ैक्शन फीस के तौर पर EMD	9.1 ई-टेंडर में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए टेंडर देने वालों को ज़रूरी EMD और ट्रांज़ैक्शन फीस जमा करनी होगी। ट्रांज़ैक्शन फीस नॉन-रिफंडेबल है। EMD पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। जो वेंडर फेल हो जाएंगे, उनकी EMD टेंडर बुलाने वाला प्राधिकरण रिफंड कर देगा।। 9.2 बिना EMD वाले टेंडर (अगर छूट नहीं मिली है) किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 9.3 ट्रांज़ैक्शन फीस नॉन-रिफंडेबल है। ट्रांज़ैक्शन फीस का पेमेंट किए बिना वेंडर को ऑनलाइन ई-टेंडर का एक्सेस नहीं मिलेगा। नोट: बिड लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे इवेंट के बंद होने से काफी पहले ट्रांज़ैक्शन फीस जमा कर दें, ताकि उन्हें बिड जमा करने के लिए काफी समय मिल सके।
10. निविदा पत्र	10.1 टेंडर देने वाला बिना किसी बदलाव के ई-टेंडरिंग प्रोसेस के ज़रिए डिजिटल सिग्नेचर क्लास 3 का इस्तेमाल करके टेंडर जमा करेगा। सभी खाली जगहों को मांगी गई जानकारी से भरना होगा।

11. टेंडर देने वाले की योग्यता बताने वाले डॉक्यूमेंट	11.1 सेक्शन-III (पैरा 3) के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए अपनी योग्यताएं तय करने के लिए, टेंडर देने वाले को सेक्शन-VI (स्टैंडर्ड फॉर्मेट) में दिए गए फॉर्मेट में जानकारी देनी होगी।
12. विभाग का दौरा	12.1 बोली लगाने वाले को फायरफाइटिंग सर्विस देनी होगी और उसे सलाह दी जाती है कि वह जाकर ऑपरेशनल सिस्टम को समझ ले। विज़िटिंग का खर्च बोली लगाने वाले को उठाना होगा। यह माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर ने डिपार्टमेंट का दौरा किया है और टेंडर डॉक्यूमेंट्स जमा करने से पहले उसे ऑपरेशनल कंडीशंस के बारे में पता है।
13. निविदाओं की वैधता अवधि	13.1 टेंडर का वैलिडिटी पीरियड टेक्निकल बिड खुलने की तारीख से 90 दिन होगा। 13.2 खास हालात में, टेंडर का वैलिडिटी पीरियड खत्म होने से पहले, बैंक टेंडर देने वालों से उनके टेंडर का वैलिडिटी पीरियड बढ़ाने की रिक्वेस्ट कर सकता है। यह रिक्वेस्ट और जवाब लिखकर दिए जाएंगे।
डी . निविदाएं प्रस्तुत करना और खोलना	
14. निविदाएं प्रस्तुत करना और चिह्नित करना	14.1 इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टेंडर जमा करने वाले टेंडर देने वालों को ई-टेंडर से जुड़े निर्देशों में बताए गए इलेक्ट्रॉनिक टेंडर जमा करने के तरीकों को मानना होगा। 14.2 टेंडर देने वाले अपनी फाइनेंशियल बिड (कॉम्पिटिटिव रेट) तय फॉर्मेट (पार्ट-II, एनेक्सर XI) में ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, साथ ही “टेक्निकल बिड” (पार्ट-I) में बताए गए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी जमा कर सकते हैं। सारी जानकारी के साथ ई-टेंडर तय समय और तारीख को या उससे पहले जमा करना होगा। अधूरे टेंडर तुरंत रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। 14.3 टेंडर देने वालों को Annex-XII में बताए गए सभी हिस्सों को मिलाकर रेट बताना होगा। 14.4 अगर ज़रूरी/तय जानकारी जमा नहीं की जाती है, तो बैंक टेंडर रिजेक्ट होने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगा।
15. टेंडर जमा करने की आखिरी तारीख	15.1 टेंडर इस डॉक्यूमेंट में बताए गए ई-टेंडरिंग प्रोसेस के ज़रिए ऑनलाइन भरे जाने चाहिए, और इस डॉक्यूमेंट में बताई गई तारीख और समय के बाद नहीं। 15.2 बैंक अपनी मर्जी से टेंडर डॉक्यूमेंट में बदलाव करके टेंडर जमा करने की डेडलाइन बढ़ा सकता है।
16. प्रति बोलीदाता एक बोली	16.1 हर बिडर खुद या जॉइंट वेंचर में पार्टनर के तौर पर या कंसोर्टियम के मेंबर के तौर पर सिर्फ एक टेंडर सबमिट करेगा। अगर कोई बिडर या जॉइंट वेंचर में कोई पार्टनर या कंसोर्टियम का कोई मेंबर एक से ज़्यादा बिड में हिस्सा लेता है, तो बिड रिजेक्ट हो सकती हैं।

17. देर से निविदाएं	17.1 डेडलाइन के बाद पोर्टल पर कोई भी टेंडर डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
18. निविदा खोलना	18.1 बैंक निविदा (भाग-I) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोलेगा पार्ट-II उन बिडर्स के लिए खोला जाएगा जो पार्ट-I में क्वालिफाई करेंगे। पार्ट-II के खुलने की तारीख सफल बिडर्स को उनके वैलिड ईमेल एड्रेस पर ईमेल से बताई जाएगी।
ई. निविदाओं की जांच	
19. गोपनीयता	19.1 निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी साझा नहीं की जाएगी टेंडर देने वालों या ऐसे किसी भी दूसरे व्यक्ति को, जो ऑफिशियली इस प्रोसेस से जुड़ा नहीं है, तब तक यह जानकारी नहीं दी जाएगी, जब तक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड की जानकारी सभी टेंडर देने वालों को नहीं दे दी जाती।
20. निविदाओं का स्पष्टीकरण	20.1 टेंडर की जांच, मूल्यांकन, तुलना और टेंडर देने वालों की योग्यता में मदद करने के लिए, बैंक अपनी मर्जी से किसी भी टेंडर देने वाले से उसके टेंडर के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकता है, और जवाब देने के लिए सही समय दे सकता है। टेंडर देने वाले द्वारा दिया गया कोई भी स्पष्टीकरण, जो बैंक के अनुरोध के जवाब में नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए बैंक का अनुरोध और जवाब लिखित में होगा। टेंडर की कीमतों या सार में कोई बदलाव नहीं मांगा जाएगा, न ही पेश किया जाएगा, या इजाजत दी जाएगी, सिवाय इसके कि टेंडर के मूल्यांकन में बैंक द्वारा पाई गई गणना की गलतियों को ठीक करने की पुष्टि की जाए। 20.2 अगर कोई टेंडर देने वाला बैंक की रिक्वेस्ट में बताई गई तारीख और समय तक अपने टेंडर के बारे में जानकारी नहीं देता है, तो उसका टेंडर रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
एफ. निविदा मूल्यांकन और तुलना	
21. निविदाओं का मूल्यांकन	21.1 बैंक सेक्शन IV में बताए गए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया का इस्तेमाल करेगा।
22. निविदाकर्ता की योग्यता	22.1 बैंक अपनी संतुष्टि के लिए यह तय करेगा कि चुना गया टेंडरर सेक्शन III (पैरा 3) के अनुसार क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को पूरा करता है या नहीं।
23. बैंक का किसी भी टेंडर को स्वीकार करने और किसी या सभी टेंडर को अस्वीकार करने का अधिकार	23.1 बैंक के पास किसी भी टेंडर को स्वीकार या अस्वीकार करने, और कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले किसी भी समय टेंडरिंग प्रोसेस को रद्द करने और सभी टेंडर को अस्वीकार करने का अधिकार है, टेंडर देने वालों पर कोई ज़िम्मेदारी लिए या कोई कारण बताए बिना। इसके अलावा, कंडीशनल बिड्स को सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

जी. अनुबंध का पुरस्कार	
24. अवार्ड का मापदंड	24.1 बैंक, सेक्शन IV (इवैल्यूएशन क्राइटेरिया) में बताए गए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के आधार पर टेंडर देने वाले को शॉर्टलिस्ट करेगा।
25. अवार्ड की अधिसूचना	25.1 जो टेंडर देने वाला साइट विज़िट इवैल्यूएशन समेत टेक्निकल इवैल्यूएशन में पास हो जाता है और फाइनैशियल बिड में L1 होता है, उसे टेंडर दिया जाएगा। 25.2 जब तक कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट तैयार और पूरा नहीं हो जाता, तब तक अवार्ड का नोटिफिकेशन एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सफल टेंडर देने वाले को काम अवार्ड के नोटिफिकेशन के 7 दिनों के अंदर पूरा काम अपने हाथ में लेने के लिए तैयार रहना होगा।
26. अनुबंध पर हस्ताक्षर	26.1 सफल टेंडर देने वाले को काम मिलने के 15 दिनों के अंदर बैंक के साथ स्टाम्प पेपर (जिसकी कीमत त्रिपुरा राज्य में लागू स्टाम्प ड्यूटी के बराबर हो) पर एक एग्रीमेंट करना होगा। यह एग्रीमेंट दोनों डॉक्यूमेंट्स पर किया जाएगा और दोनों पर ज़रूरी स्टाम्प ड्यूटी का खर्च सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर उठाएगा। 26.2 लेकिन, बैंक द्वारा काम देने की जानकारी देना बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, जैसे कि ऐसा एग्रीमेंट हो चुका है और सभी टर्म्स एंड कंडीशंस इस कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होंगी।
27. निष्पादन सुरक्षा	27.1 सफल टेंडर देने वाले को कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये चीज़ें भी देनी होंगी: परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 5%)। पीबीजी कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के बाद दो महीने के लिए वैलिड होगी। 27.2 सफल टेंडर का परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा न करना, अवॉर्ड रद्द करने, EMD ज़ब्त करने और ऐसे टेंडर को ब्लैकलिस्ट करने का काफ़ी कारण होगा।

खंड - I V
मूल्यांकन / चयन मापदंड
मूल्यांकन / चयन मानदंड

मूल्यांकन मैट्रिक्स

1. सबसे पहले, पार्ट-I (टेक्निकल बिड) को इवैल्यूएट किया जाएगा। टेंडर देने वालों को टेक्निकल इवैल्यूएशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट (एनेक्सर- VIII) के हिसाब से जानकारी देनी होगी।
2. बताई गई अलग-अलग चीज़ों के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टेक्निकल इवैल्यूएशन के लिए जमा करने होंगे।
3. बैंक टेंडर देने वाले की जमा की गई जानकारी और डॉक्यूमेंट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से जांच करेगा और टेक्निकल इवैल्यूएशन में क्वालिफिकेशन के बारे में फैसला लेने के लिए बैंकर्स, मौजूदा क्लाइंट्स और साइट विज़िट से मिले फीडबैक को इवैल्यूएट करेगा।
4. सभी टेक्निकली क्वालिफाइड फर्मों/एजेंसियों/बिडर्स की फाइनेंशियल बिड्स फाइनेंशियल इवैल्यूएशन के लिए खोली जाएंगी। काम सबसे कम बोली लगाने वाली L-1 एजेंसी को दिया जाएगा।
5. एक से ज़्यादा L-1 होने पर, काम सबसे ज़्यादा सालाना टर्नओवर वाली फर्म/एजेंसी/बिडर को दिया जाएगा।



भाग I

**भारतीय रिजर्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
अगरतला**

(नियम और शर्तें और तकनीकी स्पेसिफिकेशन)

**अगरतला में स्थित RBI ऑफिस परिसर के लिए फायरफाइटिंग स्टाफ (फायर सेफ्टी सर्विस देना) उपलब्ध
कराने के लिए ई-टेंडर**

आरबीआई/अगरतला/एचआरएमडी/4/25-26/ईटी/656

जारीकर्ता: _____

सबमिशन की आखिरी तारीख : 22 दिसंबर, 2025 दोपहर 12:00 बजे तक

पार्ट-I खुलने की तारीख : 22 दिसंबर, 2025 दोपहर 03:00 बजे

खंड – V

कार्य का व्यापक दायरा

1. सफल टेंडरर/कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी /एजेंसी को सात (07) फायर कर्मचारी (फायर सेफ्टी/फायर फाइटिंग में डिप्लोमा होल्डर) देने होंगे; यानी, एक फायर सुपरवाइजर, और 6 फायरमैन इस तरह से – दिन की शिफ्ट में एक फायर सुपरवाइजर और 3 शिफ्ट में हर एक में दो फायरमैन। एक फायर सुपरवाइजर (पांच साल के अनुभव के साथ, बेहतर होगा कि फायर डिपार्टमेंट में पहले काम किया हो) जो सोमवार से शनिवार सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक काम करेगा। *बैंक के पास काम देने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट के दौरान किसी भी समय तैनात किए जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार है।*
2. सफल निविदाकार / ठेकेदार / फर्म / कंपनी / एजेंसी को आठ घंटे की शिफ्ट में 2 (दो) फायरमैन तैनात करने होंगे और उन्हें तीन शिफ्टों में चौबीसों घंटे काम करना होगा (सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक, दोपहर 2:00 बजे से रात 10:00 बजे तक और रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक) और फायर सुपरवाइजर को सामान्य शिफ्ट (सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक) में अग्निशमन, अग्नि सुरक्षा प्रदान करना, फायर कंसोल रूम में तैनात करना, फायर अलार्म, अग्निशामक यंत्र, हाइड्रेंट, गीले / सूखे राइजर प्रणाली जैसे अग्नि सुरक्षा उपकरण रखना और उनका रखरखाव करना, शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों / आगंतुकों की सहायता करना, सामान्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, स्थानीय अग्निशमन ब्रिगेड के साथ संपर्क करना।
3. सफल टेंडर देने वाले/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी /एजेंसी के पास तैनात स्टाफ के लिए काफी संख्या में रिलीवर/छुट्टी रिज़र्व का इंतज़ाम होगा, जिनके पास फायर-फाइटिंग का पूरा अनुभव और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ।
4. एजेंसी द्वारा तैनात फायर-फाइटिंग स्टाफ को तैनाती के एक साल के अंदर बैंक से रोटेट/शिफ्ट **नहीं** किया जाना चाहिए, जब तक कि आरबीआई की उम्मीद के मुताबिक फायर-फाइटिंग स्टाफ की दी गई सेवाओं में कोई कमी न हो या वे टेंडर देने वाले की नौकरी से बाहर न हो जाएं।
5. सफल टेंडर देने वाले/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी यह पक्का करेंगे कि फायरफाइटिंग स्टाफ यानी सुपरवाइजर/लीडिंग फायरमैन, और एजेंसी द्वारा तैनात फायरमैन के ओवरऑल मैनेजमेंट और सुपरविज़न और फायरफाइटिंग सिस्टम के रख-रखाव के लिए एक अनुभवी फायर सुपरवाइजर को रखा जा रहा है।
6. सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी यह पक्का करेगी कि सुपरवाइजर/लीडिंग फायरमैन और दो फायरमैन बैंक के ऑफिस में चौबीसों घंटे ड्यूटी पर रहें, बस शर्त यह है कि फायर स्टाफ लगातार 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी पर न रहे और हर शिफ्ट में नए लोग दिए जाएं। अगर शिफ्ट शुरू होने के आधे घंटे के अंदर कोई फायर स्टाफ नहीं आता है, तो एजेंसी को उतने ही ट्रेड और काबिल फायर-फाइटिंग स्टाफ का दूसरा इंतज़ाम करना होगा।

7. फायर स्टाफ अपनी शिफ्ट ड्यूटी शुरू होने से पहले और ड्यूटी पर मौजूद फायर स्टाफ को हटाने से पहले और रेगुलर इंटरवल पर और अपनी शिफ्ट ड्यूटी खत्म होने से पहले बैंक की जगह पर घूमकर यह चेक करेगा कि फायर-फाइटिंग के इंतज़ाम हैं या नहीं और वे काम कर रहे हैं या नहीं। शिफ्ट बदलने पर फायर-फाइटिंग इक्विपमेंट के सर्विस करने लायक होने का रिकॉर्ड बनाए रखना होगा और रोज़ाना बैंक सिक्योरिटी ऑफिसर को देना होगा।
8. सफल टेंडर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी द्वारा एडहॉक बेसिस पर पूरी की जाएगी।
9. फायर कंट्रोल रूम में चौबीसों घंटे स्टाफ की तैनाती। स्टाफ को समय-समय पर फायरफाइटिंग की ट्रेनिंग देना। तय समय पर सभी फायर इक्विपमेंट की सर्विसिंग के लिए चेक करना। बताई गई जगह के लिए फायर अलार्म सिस्टम, वेट राइज़र सिस्टम, फायर हाइड्रेंट और फायर-फाइटिंग एक्सटिंग्विशर और आग से जुड़े दूसरे इक्विपमेंट सहित सभी फायर-फाइटिंग इंतज़ाम के लिए ज़िम्मेदार होना।
10. पक्का करें कि हाइड्रेंट सिस्टम का रिज़र्व पानी का टैंक हर समय भरा रहे। सभी आग बुझाने वाले इक्विपमेंट के AMC के तहत किए गए काम को सुपरवाइज़ करें।
11. आग को शुरू में ही बुझा दें और फायर ब्रिगेड के आने पर उनकी मदद करें। आग लगने पर, स्टाफ की मदद करें और आग बुझाने और जगह/बिल्डिंग में रहने वालों को निकालने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाएं।
12. काम और एडमिनिस्ट्रेशन के सभी पहलुओं पर बैंक के सिक्योरिटी ऑफिसर के अंडर काम करना।
13. रेगुलर फायर-फाइटिंग ड्रिल करें और बैंक की डिजास्टर इवैक्युएशन मॉक ड्रिल में मदद करें, जिसमें इवैक्युएशन चेयर का इस्तेमाल करके दिव्यांग कर्मचारियों को निकालना शामिल है।
14. आग के खतरों की पहचान करने और आग और बिल्डिंग कोड के उल्लंघन से बचाने के लिए कदम उठाने/हटाने के लिए पूरी जगह की रेगुलर पेट्रोलिंग करें। रोज़ सभी बचने के रास्तों और आग से बचने वाली लेन को चेक करें और पक्का करें कि उनमें कोई रुकावट न हो।
15. किसी घटना की स्थिति में खोज, बचाव और बचाव कार्य में सहायता करें।
16. लेटेस्ट फायर-फाइटिंग इक्विपमेंट और टेक्नीक की जानकारी अपडेट करें और फायर सर्विस में हो रहे नए डेवलपमेंट से अवगत रहें।
17. लोकल फायर ब्रिगेड की जगहों के साथ अच्छे से और करीबी संपर्क बनाए रखना और जब भी फायर ऑडिट हो, उसमें मदद करना।
18. सफल टेंडर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी के फायर स्टाफ को बैंक के सिक्योरिटी ऑफिसर से रोज़ाना के काम के लिए ज़रूरी निर्देश लेने होंगे।

19. सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी के फायर स्टाफ को बैंक के सिक्योरिटी मैनेजर द्वारा तैयार किए गए डिटेल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और फायर ऑर्डर के अनुसार काम करना होगा।

20. सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी यह पक्का करेगा कि बैंक की जगह पर काम करने वाला फायर स्टाफ सिक्योरिटी मैनेजर या क्षेत्रीय निदेशक/महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) द्वारा बताए गए किसी दूसरे ऑफिसर के दिए गए सभी निर्देशों का पालन करे।

सामान्य नियम और शर्तें

1. दिए गए काम को करने के लिए, सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी मेडिकली और फिजिकली फिट ट्रेड लोगों (40 साल से कम उम्र के फायरमैन) को काम पर रखेगा। सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी यह पक्का करेगा कि लोग समय के पाबंद और डिसिप्लिन में रहें और अपनी ड्यूटी करते समय सावधान रहें। सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी द्वारा रखे गए लोग अच्छी तरह से ट्रेड फायरमैन होने चाहिए, जिनका व्यवहार बहुत ईमानदार और अच्छा हो और उन्हें हिंदी और इंग्लिश की पूरी जानकारी हो।
2. सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी को जनरल शिफ्ट (सुबह 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक) में फायर सुपरवाइजर और आठ घंटे की शिफ्ट में हर शिफ्ट में दो (02) फायरमैन तैनात करने होंगे और उन्हें अगरतला में RBI के ऑफिस में तीन शिफ्ट में चौबीसों घंटे काम करना होगा। एक फायर सुपरवाइजर (काफी अनुभव वाला, बेहतर होगा कि फायर डिपार्टमेंट में पहले काम किया हो) जो सोमवार से शनिवार सुबह 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक काम करेगा।
3. सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी द्वारा तैनात सुपरवाइजर/लीडिंग फायरमैन के पास कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए। तैनात कर्मचारी की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
4. सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी द्वारा तैनात किए गए फायरमैन के पास कम से कम तीन साल का अनुभव होगा। तैनात किए गए कर्मचारियों की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
5. सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी, बैंक की इजाजत के बिना एग्रीमेंट के समय के दौरान तैनात फायरमैन को ट्रांसफर/बदलेगा नहीं।
6. सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी एडहॉक बेसिस पर पूरी करेगी और रिप्लेसमेंट/रिलीवर के पास वैसी ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
7. तैनात हर व्यक्ति का पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी और अनिवार्य है। सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी की यह पूरी ज़िम्मेदारी होगी कि तैनाती से पहले सभी फायर स्टाफ का सही पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं। इस बारे में सफल टेंडरर / कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी को बैंक को एक सर्टिफिकेट जमा करना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के मकसद से तैनात उसके स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन पूरा हो गया है और ज़रूरत पड़ने पर बैंक इसे बुला सकता है।
8. सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी द्वारा ऊपर बताई गई सेवाओं के लिए तैनात किए गए लोग सभी मकसद और मकसद के लिए सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी के कर्मचारी होंगे और इस तरह तैनात किए गए लोग सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी के कंट्रोल और सुपरविज़न में रहेंगे और किसी भी मामले में, उक्त लोगों और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, अगरतला के बीच एम्प्लॉयर और कर्मचारी का रिश्ता अंदर या बाहर से नहीं बनेगा। यह सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी की ज़िम्मेदारी होगी

कि वह यह पक्का करे कि इस मामले में उसके द्वारा तैनात किए गए वर्कर्स के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया, अगरतला पर कोई लायबिलिटी न आए।

9. सफल टेंडर देने वाला/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी , कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर, अगरतला में मौजूद RBI के सभी ऑफिस से अपने यहां काम करने वाले सभी वर्कर को हटा देगा और यह पक्का करेगा कि ऐसे कोई भी लोग अगरतला में RBI के ऑफिस में किसी भी तरह की कोई रुकावट/रुकावट/समस्या पैदा न करें, चाहे वह साफ तौर पर हो या अंदर ही अंदर।
10. यह कि सौंपे गए कार्य की जिम्मेदारी लेने पर, सफल टेंडरकर्ता/ ठेकेदार/फर्म/कंपनी/ एजेंसी अपने कर्मियों को कार्य का उचित आवंटन करने के लिए महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिजर्व बैंक, अगरतला या उनके नामिती के साथ परामर्श करके प्रणाली तैयार करेगी। इसके बाद, सफल टेंडरकर्ता/ ठेकेदार/फर्म/कंपनी/ एजेंसी समय-समय पर सौंपे गए कार्य की समीक्षा करेगी और महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिजर्व बैंक, अगरतला को अपनी प्रणाली को और सुव्यवस्थित करने के लिए सलाह देगी। सफल टेंडरकर्ता/ ठेकेदार/फर्म/कंपनी/ एजेंसी इसके अलावा महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिजर्व बैंक, अगरतला या महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर नामित अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों/निर्देशों से बाध्य होगी और उनका पालन करेगी।
11. महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया, अगरतला या महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) द्वारा अधिकृत कोई भी दूसरा व्यक्ति सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी द्वारा तैनात लोगों की सरप्राइज़ चेकिंग करने के लिए आज़ाद होगा , ताकि यह पक्का हो सके कि उसके द्वारा तैनात लोग अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहे हैं।
12. सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी द्वारा तैनात कोई भी व्यक्ति काम पर खरा नहीं उतरता है या अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करता है या गलत काम करता है या किसी भी गैर-कानूनी दंगे या गड़बड़ी में शामिल होता है, तो सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी तुरंत उसे हटा देगा और महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया, अगरतला की रिपोर्ट पर ऐसे लोगों के खिलाफ सही कार्रवाई करेगा। इसके अलावा, अगर उस व्यक्ति की तरफ से ऊपर बताई गई कोई भी हरकत होती है, तो सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी तुरंत उस व्यक्ति को बदल देगा।
13. सफल टेंडर देने वाला/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी, उसे दिया गया काम महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया, अगरतला या उसके नॉमिनी या महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) द्वारा इस बारे में समय-समय पर बताए गए ऑफिसर से सलाह करके ध्यान से और मेहनत से करेगा।
14. सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी को फायर कंट्रोल रूम में अपने खर्च पर एक डेडिकेटेड मोबाइल नंबर देना होगा ।
15. सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी को अपने द्वारा तैनात लोगों के नाम, माता-पिता, घर का पता, उम्र वगैरह की जानकारी और हाल की फोटो जमा करनी होगी। काम के लिए तैनात सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी के कर्मचारियों की सही पहचान के लिए, वह उनके फोटो/पहचान वगैरह वाले पहचान पत्र जारी करेगा और ऐसे कर्मचारी ड्यूटी के समय अपने पहचान पत्र दिखाएंगे।

16. सफल टेंडर देने वाला/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी, मिनिमम वेज एक्ट और दूसरे कानूनी कानूनों के तहत मिलने वाली मज़दूरी और दूसरे सभी बकाए के पेमेंट के लिए ज़िम्मेदार होगा।
17. सफल टेंडर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी अगले महीने की 10 तारीख तक रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, अगरतला को मंथली इनवाइस भेजेगा। रिज़र्व ऑफ़ इंडिया, अगरतला सफल टेंडर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी को देने वाली रकम से टैक्स एट सोर्स और समय-समय पर लागू होने वाले सभी दूसरे टैक्स, इयूटी काट लेगा।
18. सफल टेंडर देने वाले/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नोटिफिकेशन का पालन करना होगा या करवाना होगा। इन नोटिफिकेशन में मज़दूरी का पेमेंट, मज़दूरी के समय की मज़दूरी से कटौती, नहीं दी गई मज़दूरी और बिना इजाज़त की गई कटौतियों की रिकवरी, मज़दूरी बुक, मज़दूरी स्लिप का रखरखाव, मज़दूरी के स्केल और नौकरी की शर्तों का पब्लिकेशन, इंस्पेक्शन और संबंधित अधिकारियों को समय-समय पर रिटर्न जमा करना शामिल है। सफल टेंडर देने वाले/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी को भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा समय-समय पर तय की गई न्यूनतम मज़दूरी का पेमेंट करना चाहिए और हमारे परिसर में तैनात फायर स्टाफ के लिए न्यूनतम मज़दूरी के पेमेंट का मंथली कंप्लायंस सर्टिफिकेट (भुगतान की गई मज़दूरी की डिटेल्स के साथ) अगले महीने के बिल के साथ जमा करना चाहिए।
19. सफल टेंडर देने वाला/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी, इस तरह काम पर रखे गए लोगों को मज़दूरी वगैरह का पेमेंट करेगा और मांगे जाने पर, मज़दूरी रजिस्टर/मस्टर रोल वगैरह की कॉपी आरबीआई, अगरतला को देगा, ताकि एग्रीमेंट के तहत काम के लिए उसके द्वारा रखे गए लोगों को सभी बकाया पेमेंट किया जा सके। यह ज़िम्मेदारी सफल टेंडर देने वाले/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी पर यह पक्का करने के लिए लगाई गई है कि वह कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन और एबोलिशन) एक्ट, 1970 के प्रोविज़न के अनुसार, इस तरह काम पर रखे गए अपने कर्मचारियों के प्रति अपने कमिटमेंट को पूरा कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर को अपने खर्च पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन और एबोलिशन) एक्ट, 1970 के प्रोविज़न और सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों का पालन करना होगा।
20. अगर बैंक को पता चलता है कि एक ही स्टाफ को लगातार दो शिफ्ट में लगाया गया है या कहीं और भी लगाया गया है, तो बैंक को अपनी समझ से पेनल्टी लगाने का अधिकार होगा। सर्विस में कमी और बैंक और उसके अधिकारियों को हुई गंभीर परेशानी के लिए, बैंक को अनुमानित कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का 10% तक पेनल्टी लगाने का अधिकार होगा। अगर पेनल्टी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट के 10% तक पहुँच जाती है, तो बैंक को कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का अधिकार होगा और सफल टेंडर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी रिस्क और कॉस्ट के लिए ज़िम्मेदार होगा। पेनल्टी की रकम सिक्योरिटी डिपॉज़िट या सफल टेंडर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी को दिए जाने वाले किसी भी दूसरे अमाउंट से ली जाएगी।
21. कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैनात लोगों को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया कोई रहने की सुविधा, ट्रांसपोर्ट सुविधा या मेडिकल सुविधा नहीं देगा।
22. सफल टेंडर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी अपने लोगों को इस तरह से तैनात करेगा कि उन्हें हर हफ़्ते आराम मिले। काम के घंटे/छुट्टी, जिसके लिए उनसे काम लिया जाता है, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट

के ज़रूरी नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। तैनात प्राइवेट फायर स्टाफ की गैरहाज़िरी/छुट्टी/छुट्टी वगैरह के मामले में, कॉन्ट्रैक्टर को उतने ही काबिल और योग्य रिलीवर देने का इंतज़ाम करना होगा। सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी अपने काम में लगे लोगों के साथ सभी तरह के व्यवहार में सभी जाने-माने त्योहारों, आराम के दिनों और धार्मिक या दूसरे रीति-रिवाजों का पूरा ध्यान रखेगा।

23. सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन और एबोलिशन) एक्ट, 1970; एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट; वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट, 1923; पेमेंट ऑफ वेजेज़ एक्ट, 1936; एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (और मिसलेनियस प्रोविज़न्स) एक्ट, 1952; पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965; मिनिमम वेजेज़ एक्ट, 1948; एम्प्लॉई लायबिलिटी एक्ट, 1938; एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938; मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972, इक्वल रेमुनेशन एक्ट, 1976, इंटर-स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन (रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) एक्ट, 1979 और/या उन पर लागू होने वाले किसी भी दूसरे नियम/रेगुलेशन और/या कानूनों का पालन करना होगा। सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी ऊपर वर्णित विधायी अधिनियमों या किसी अन्य वैधानिक प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा और आरबीआई, अगरतला को उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने से उत्पन्न होने वाली सभी चूक, गलती, उल्लंघन और/या किसी दावे, मांग, हानि, चोट और व्यय से मुआवजा देगा। सफल निविदाकार/ ठेकेदार/फर्म/कंपनी/ एजेंसी यहां के तहत और/या उक्त अधिनियमों, नियमों/विनियमों/या इनमें से किसी के तहत बनाए गए किसी उपनियम या नियम के तहत किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, आरबीआई, अगरतला ऐसे किसी भी नुकसान या खर्च को कवर करने का हकदार होगा, जो उसे ऐसे दावों, मांग, हानि या चोट के कारण उठाना पड़ सकता है या वहन करना पड़ सकता है, ठेकेदार के मासिक भुगतान या ठेकेदार को देय किसी अन्य राशि से या बैंक गारंटी का आह्वान करके।
24. अगर सफल टेंडर देने वाला/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी, समय-समय पर बदले गए कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन और एबोलिशन) एक्ट, 1970 के नियमों सहित लेबर कानूनों के किसी भी नियम का उल्लंघन करता है या कोई जानकारी देता है, या इन नियमों के तहत कोई बयान देता है या भरता है जो कि असल में गलत है, तो उसे किसी भी दूसरी जिम्मेदारी पर बिना किसी भेदभाव के, RBI, अगरतला को एक रकम देनी होगी, जो महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला द्वारा तय की जाएगी। बैंक के पास बैंक गारंटी का इस्तेमाल करके या सफल टेंडर देने वाले/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी को देने लायक किसी भी दूसरी रकम में से रकम लेने का अधिकार है।
25. सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी को बिल्डिंग परिसर में परमानेंट अटेंडेंस रजिस्टर/रोल रखना होगा, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, अगरतला के अधिकृत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और चेकिंग के लिए खुला रहेगा।
26. सफल टेंडर देने वाला/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी, अपने कर्मचारियों के किसी भी गैर-कानूनी दंगे या गलत काम या कामों को रोकने के लिए सभी ज़रूरी सावधानी बरतेगा और शांति बनाए रखेगा और आरबीआई, अगरतला के लोगों और प्रॉपर्टी की सुरक्षा पक्का करेगा।
27. सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी आरबीआई, अगरतला को दी गई ऊपर बताई गई सर्विस के लिए

अपने खर्च पर ज़रूरी इंश्योरेंस कवर लेगा। सफल टेंडरर / कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के लिए “ऑल रिस्क पॉलिसी” और काम के लिए लगाए गए वर्कर के लिए वर्कमैन कम्पनसेशन पॉलिसी लेगा। सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी काम मिलने पर बैंक को पॉलिसी की एक कॉपी देगा।

28. बैंक किसी भी फायर स्टाफ की मौत, चोट या दुर्घटना के लिए किसी भी मुआवजे के पेमेंट के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, जो उनकी ड्यूटी और तैनाती के दौरान हो सकता है। यह सहमति और समझ है कि सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी ही ऐसे फायर स्टाफ को ऐसे नुकसान या मुआवजे का पेमेंट करने के लिए ज़िम्मेदार होगी।
29. सफल टेंडर देने वाला/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर, अपने यहां काम करने वाले सभी वर्कर को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, अगरतला के सभी ऑफिस से हटा देगा और यह पक्का करेगा कि ऐसे कोई भी लोग रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, अगरतला के ऑफिस में, साफ तौर पर या अंदर ही अंदर, किसी भी तरह की रुकावट/रुकावट/समस्या पैदा न करें।
30. यह कि सफल टेंडरकर्ता/ ठेकेदार/फर्म/कंपनी/ एजेंसी, सफल टेंडरकर्ता/ ठेकेदार/फर्म/कंपनी/ एजेंसी द्वारा तैनात कर्मचारियों/कर्मियों/प्रतिनिधियों के संबंध में सभी दावों के खिलाफ भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को मुआवजा देगा। यदि सफल टेंडरकर्ता/ ठेकेदार/फर्म/कंपनी/ एजेंसी का कोई कर्मचारी/कर्म/प्रतिनिधि किसी भी तरह के विवाद में शामिल होता है, तो इसका विरोध करना सफल टेंडरकर्ता/ ठेकेदार/फर्म/कंपनी/ एजेंसी की प्राथमिक ज़िम्मेदारी होगी। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को पक्ष बनाया जाता है और उसे मामले का विरोध करना होता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को वकील की फीस और अन्य खर्चों के लिए वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसका भुगतान सफल टेंडरकर्ता / ठेकेदार/फर्म/कंपनी/ एजेंसी द्वारा मांग पर भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को अग्रिम रूप में किया जाएगा। इसके अलावा, सफल टेंडर देने वाले/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी यह पक्का करेंगे कि इस मामले में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, अगरतला पर किसी भी तरह की कोई फ़ाइनेंशियल या कोई दूसरी ज़िम्मेदारी न आए और इस मामले में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, अगरतला को हर्जाना देंगे।
31. सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी यह पक्का करेगा कि इस तरह तैनात लोग, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, अगरतला के फायर सेफ्टी इक्विपमेंट समेत कोई भी प्रॉपर्टी, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, अगरतला के तय अधिकारियों के साइन किए हुए गेट पास के बिना जगह से बाहर न ले जाएं। किसी भी बेईमानी, मिलीभगत और/या गलत इरादे से बचने के लिए, गेट पास पर साइन करने के लिए तय और ऑथराइज़्ड अधिकारियों के सैंपल साइन की जानकारी सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी को लिखकर दी जाएगी, साथ ही बाद में होने वाले बदलावों के बारे में भी, अगर कोई हो।
32. सफल निविदाकार/ ठेकेदार/फर्म/कंपनी/ एजेंसी श्रम कानूनों या किसी अन्य वैधानिक प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार होगी और आरबीआई, अगरतला को सभी चूक, गलती, उल्लंघन और/या उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने से उत्पन्न होने वाले किसी दावे, मांग, हानि, चोट और व्यय से मुआवजा देगी। सफल निविदाकार/ ठेकेदार/फर्म/कंपनी/ एजेंसी द्वारा यहां के तहत और/या उक्त अधिनियमों, नियमों/विनियमों और/या इनमें से किसी के तहत तैयार किए गए किसी उप-नियम या नियमों के तहत किसी दायित्व को पूरा करने में विफलता के मामले में, आरबीआई, अगरतला ऐसे किसी

भी नुकसान या खर्च को वसूलने का हकदार होगा, जो उसे ऐसे दावों, मांग, हानि या चोट के कारण उठाना पड़ सकता है सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी को स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोसेस और इक्विपमेंट का पालन करना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि उसके किसी भी स्टाफ को कोई चोट न लगे। इस मामले में कोई भी उत्तरदायित्व पूरी तरह से एजेंसी की होगी।

33. सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वह रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, अगरतला की जगह पर आग से सुरक्षा के इंतज़ाम का ध्यान रखे और आग से सुरक्षा से जुड़े मामले की रिपोर्ट तुरंत रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, अगरतला के सिक्योरिटी ऑफिसर को दे। सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी की यह पूरी ज़िम्मेदारी होगी कि वह रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, अगरतला की आग से सुरक्षा और सुरक्षा से जुड़ी सभी चल और अचल प्रॉपर्टी और एसेट्स की सुरक्षा और सुरक्षा पक्का करे और अगर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया को कोई नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई करे। अगर सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी या उसके वर्कर की तरफ से बेईमानी और/या किसी गलती की वजह से नुकसान होता है, तो सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, अगरतला से मांगे जाने पर हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। अगर ज़रूरत हो, तो उसे रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, अगरतला के अधिकारियों से सलाह करके पुलिस में FIR भी दर्ज करवानी चाहिए।
34. सफल टेंडर देने वाला/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी इस काम के लिए तैनात लोगों को अपने खर्च पर दो जोड़ी अलग यूनिफॉर्म देगा और इसमें शर्ट (शर्ट/जैकेट के पीछे FIRE SAFETY लिखा हो), लेदर के जूते, मोज़े, सीटी वाली लैनयार्ड, सर्दियों के लिए जर्सी, बारिश के मौसम के लिए रेन कोट/छाता, सभी पोस्ट पर भरी हुई टॉच और डंडे शामिल होंगे और इस मामले में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, अगरतला की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। यूनिफॉर्म को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, अगरतला के महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) से मंजूरी लेनी होगी।
35. **एजेंसी को पेमेंट:** बताए गए चार्ज में तैनात मैनुअल की सर्विस का खर्च शामिल होगा, जो इनवॉइस जमा करने और परफॉर्मेंस चेक करने पर हर महीने देना होगा। पेमेंट तब किया जाएगा जब बैंक के ऑफिसर यह सर्टिफाई कर देंगे कि दी गई सर्विस ठीक रही है और सभी कानूनी बकाया/टैक्स वगैरह काट लिए जाएंगे। पेमेंट महीने के हिसाब से किया जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा सप्लाई किए गए लोगों द्वारा की गई/ऑपरेट की गई असली शिफ्ट के लिए होगा और P&SO द्वारा वेरिफाइड अटेंडेंस शीट और दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के आधार पर होगा। बैंक किसी भी अकाउंट पर कोई और क्लेम नहीं मानेगा। कॉन्ट्रैक्टर यह पक्का करेगा कि उसके द्वारा रखे गए सुपरवाइज़र/फायरमैन को समय पर उनकी सैलरी मिले। इसे देखते हुए, यह प्रोसेस अपनाया जाएगा। RBI अगरतला में तैनात कॉन्ट्रैक्टर पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, बिल इन डॉक्यूमेंट्स के साथ ज़रूरी तौर पर जमा किए जाएंगे:
 - a) मौजूदा महीना चालान कॉपी.
 - b) अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 का नियम 78(1) (ए) (i) देखें], व्यक्तिगत अनुबंध श्रमिकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित।
 - c) मौजूदा महीना उपस्थिति पंजीकरण करवाना।
 - d) चालू महीने का ESI रैमिटेंस चालान (अगर लागू हो) कंसोलिडेटेड और ब्रेकअप डिटेल्स के साथ।

- e) मौजूदा महीना ईपीएफ प्रेषण चालान, जैसा लागू साथ समेकित और ब्रेकअप विवरण।
- f) एजेंसी का बैंक स्टेटमेंट, जो बैंक अधिकारियों से सही तरह से ऑथराइज़्ड हो, जिसमें हर कर्मचारी को दिए गए सैलरी पेमेंट की डिटेल्स हों।
- g) कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को किए गए किसी भी दूसरे पेमेंट (बोनस वगैरह) का सबूत।
- h) वेंडर का एक सर्टिफिकेट जिसमें यह बताया गया हो कि वे मिनिमम वेज एक्ट, 1948 (XI of 1948) के तहत लागू फॉर्म और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी एक्ट के तहत सभी लागू नियमों, EPFO, ESIC (अगर लागू हो), बोनस और मजदूरों को काम पर रखने के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी सभी दूसरे एक्ट/नियमों का पालन कर रहे हैं।

36. कॉन्ट्रैक्टर को अपने फायरफाइटिंग कर्मचारियों को सैलरी स्लिप देना ज़रूरी है। एक टेंटेटिव फॉर्मेट इस तरह है:

कर्मचारी का नाम महीना	पद का नाम उपस्थित दिनों/इयूटी की संख्या: -
तनखाह का विवरण देय भुगतान	ईएसआई नं. पीएफ नं.
बुनियादी बोनस एचआरए ग्रेचुटी अन्य भत्ते अतिरिक्त भत्ते/देर से इयूटी सकल मजदूरी ओवरटाइम सकल मजदूरी + ओवरटाइम कटौती (कर और कोई भी अन्य शुल्क) शुद्ध देय (रु.)	कटौती राशि ईपीएफ (%) ईएसआई (%) सुरक्षा जमा राशि कुल कटौती:

37. फाइनेंशियल इन्क्लूजन: सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी यह पक्का करेगी कि वहां तैनात सभी फायर स्टाफ बैंक में ATM कार्ड के साथ सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। सैलरी का पेमेंट NEFT/ RTGS से किया जाएगा और सैलरी हर महीने की 7 तारीख तक देनी होगी ।

38. सेक्सुअल हैरेसमेंट: सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी को “वर्कप्लेस पर महिलाओं का यौन हैरेसमेंट (रोकथाम, रोक और निवारण) एक्ट, 2013” के नियमों का पालन करना होगा। बैंक के परिसर में अपने कर्मचारी/कर्मचारी/प्रतिनिधि के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई भी शिकायत होने पर, सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के सामने शिकायत दर्ज

की जाएगी और सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त एक्ट के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

39. सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की ओर से बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी संज्ञान लेगी।
40. सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी अपने कर्मचारियों/कर्मचारियों/रिप्रेजेंटेटिव को काम की जगह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की रोकथाम और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगी ।
41. सफल टेंडर देने वाला/कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/एजेंसी किसी भी पैसे के मुआवज़े के लिए ज़िम्मेदार होगा, अगर घटना में सफल टेंडर देने वाले/कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/एजेंसी के कर्मचारी शामिल हों, उदाहरण के लिए, अगर सफल टेंडर देने वाले/कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/एजेंसी के कर्मचारी द्वारा यौन दुराचार साबित हो जाता है, तो बैंक के कर्मचारी को पैसे की राहत के तौर पर।।
42. सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी यह पक्का करेगा कि उसका कोई भी कर्मचारी/कर्मचारी/रिप्रेजेंटेटिव तय समय के बाद बैंक की जगह पर अंदर न आए या न रहे, जब तक कि सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए और केयरटेकर/बैंक सिक्योरिटी अधिकारियों की इजाज़त से यह बहुत ज़रूरी न हो।
43. **नॉन-डिस्क्लोजर क्लॉज:** सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी, बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इक्विपमेंट वगैरह की कोई भी जानकारी, मटीरियल और डेटिल्स, जो इस एग्रीमेंट के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी के पास या जानकारी में आती हैं, किसी तीसरे पक्ष को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बताएगा और इसे हर समय पूरी तरह से गोपनीय रखेगा। सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट की डेटिल्स को प्राइवेट और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत ज़िम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए यह ज़रूरी हो। सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी, बैंक/एम्प्लॉयर की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और काम की कोई भी जानकारी पब्लिश नहीं करेगा, पब्लिश करने की इजाज़त नहीं देगा, या ज़ाहिर नहीं करेगा। सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी , किसी भी गोपनीय जानकारी के खुलासे की वजह से बैंक/एम्प्लॉयर को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक/एम्प्लॉयर को हर्जाना देगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने पर , सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक/एम्प्लॉयर को नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का अधिकार होगा। सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी अपने कर्मचारियों/कर्मचारियों/रिप्रेजेंटेटिव के संबंध में सभी ज़रूरी कदम उठाएगी ताकि यह पक्का हो सके कि इस एग्रीमेंट के तहत गोपनीय जानकारी न बताने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से पूरी हो। सफल टेंडरर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी की, जानकारी न बताने और गोपनीयता के संबंध में ज़िम्मेदारी, किसी भी कारण से इस एग्रीमेंट के खत्म होने या खत्म होने के बाद भी लागू रहेगी।

44. अप्रत्याशित घटना: अगर कॉन्ट्रैक्ट के दौरान किसी भी समय, किसी भी पार्टी पर अप्रत्याशित घटना का असर होता है, जिसे सिविल डिस्टर्बेंस, दंगे, हड़ताल, तूफान, भगवान का काम वगैरह कहा जा सकता है, जिससे कोई भी पार्टी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पाती है, तो प्रभावित पार्टी को ऐसी घटना के बारे में तुरंत दूसरी पार्टी को बताना होगा। ऐसी किसी भी वजह से कोई भी पार्टी इवेंट में अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का अधिकार होगा। कॉन्ट्रैक्ट के तहत ज़िम्मेदारियाँ इवेंट खत्म होने या खत्म होने के बाद जितनी जल्दी हो सके फिर से शुरू हो जाएँगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में इवेंट की वजह से आपसी सहमति से तय समय, अगर कोई हो, या सात दिन, जो भी ज़्यादा हो, उससे ज़्यादा समय लगता है या देरी होती है, तो कोई भी पार्टी अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती है।

45. कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना - ऊपर बताई गई बातों पर बिना किसी गलत असर के, बैंक/एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से, बिना कोई कारण बताए और बिना कोई मुआवज़ा दिए, लिखित नोटिस देकर तुरंत कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का हकदार होगा, अगर-

- बैंक/एम्प्लॉयर की राय में (जिस पर सफल टेंडर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी सवाल नहीं उठाएगा और यह सफल टेंडर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी पर लागू होगा) सफल टेंडर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी बैंक की संतुष्टि के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने में फेल रहता है या मना कर देता है; और/या
- सफल टेंडर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है; और/या
- किसी भी वजह से, सफल टेंडर देने वाला/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी किसी भी कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए अयोग्य हो जाता है; और/या
- सफल टेंडर/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी या उसके बिज़नेस की ओनरशिप/पार्टनरशिप में बैंक से लिखित में पहले से इजाज़त लिए बिना कोई बदलाव होता है; और/या
- सफल टेंडर देने वाले/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, या उसके क्रेडिटर्स के साथ कोई समझौता कर लिया जाता है या उस पर डिस्ट्रेस या एग्जीक्यूशन या कोई और प्रोसेस लगाया जाता है या सफल टेंडर देने वाले/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी के एसेट्स या प्रॉपर्टी के किसी हिस्से के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाता है ।

किसी भी वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर, सफल टेंडर देने वाला/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी या उसके यहां काम करने वाले लोग, बैंक/एम्प्लॉयर से मुआवज़े या नुकसान के तौर पर कोई भी रकम पाने के हकदार नहीं होंगे।

46. स्टाम्प ड्यूटी और दूसरे कानूनी चार्ज - टेंडर देने वाला/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद एग्जीमेंट को पूरा करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी और/या दूसरे कानूनी खर्च उठाएगी। एग्जीमेंट दो कॉपी में पूरा किया जाएगा और बैंक ओरिजिनल और टेंडर देने वाले/ कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/ एजेंसी डुप्लीकेट अपने पास रखेगी।

47. मध्यस्थता करना:

- (a) इस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े या उससे जुड़े किसी भी विवाद और/या मतभेद को संबंधित पार्टियों के ऑथराइज़्ड प्रतिनिधियों की मिली-जुली बातचीत से सुलझाया जाएगा। हालांकि, अगर विवाद मिली-जुली बातचीत से नहीं सुलझते हैं, तो मामले को फैसले के लिए महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, अगरतला द्वारा नियुक्त किए गए आर्बिटर के पास भेजा जाएगा।
- (b) अकेले आर्बिटर का फैसला आखिरी होगा और सभी पार्टियों पर लागू होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के तहत होगी, जिसमें समय-समय पर बदलाव किए गए हैं। आर्बिट्रेशन की जगह आरबीआई, अगरतला होगी।
- (c) आर्बिट्रेशन का खर्च दोनों पार्टियों को बराबर-बराबर उठाना होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही के पेंडिंग रहने और कॉन्ट्रैक्ट के चलने के दौरान, कोई भी पार्टी आर्बिट्रेशन की वजह से उस काम/सर्विस को रोकने का हकदार नहीं होगी जिससे विवाद जुड़ा है और वेंडर को पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से किया जाता रहेगा।
- (d) इस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े सभी मामले सिर्फ अगरतला की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आएंगे।

48. पेमेंट रोकना: बैंक पेमेंट को उस हद तक रोक सकता है, अगर उसे ठीक से लगता है कि एजेंसी इस एग्रीमेंट के अनुसार अपनी ज़िम्मेदारियों का उल्लंघन कर रही है। अगर उल्लंघन ऐसा है कि उसे ठीक किया जा सकता है, तो एजेंसी को कमी को ठीक करने के लिए 07 (सात) दिन का नोटिस दिया जाता है। एक बार जब सर्विस प्रोवाइडर कमी को ठीक कर देता है, तो बैंक इस वजह से रोकी गई रकम वापस कर देगा। यह साफ़ किया जाता है कि ऐसी रोकी गई रकम पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।

49. पेमेंट से कटौती: बैंक एजेंसी के बिल से, बताए गए सर्विस लेवल एग्रीमेंट (SLA) के अनुसार पेनल्टी के क्लेम, खर्च या क्लेम, नुकसान, डैमेज, एजेंसी द्वारा की गई खराब सर्विस वगैरह के लिए रकम काट सकता है, जो एजेंसी की लापरवाही से बैंक को सीधे तौर पर हुए हैं ('डायरेक्ट डैमेज')। अगर एजेंसी बताए गए उल्लंघन को ठीक करने में नाकाम रहती है, तो बैंक के पास बिना किसी और नोटिस के, एजेंसी के बिल से ऐसी रकम काटने का अधिकार है, और यह अधिकार इस एग्रीमेंट के तहत बैंक को मिले किसी भी दूसरे अधिकार के अलावा है।

50. ऑपरेशनल वर्किंग पेनल्टी : ऑपरेशनल ज़रूरतों तक सीमित वर्किंग पेनल्टी इस तरह बताई गई है:

क्रम संख्या	सेवा स्तर समझौता (SLA)	विफलता सहनशीलता स्तर	जोखिम	प्रति माह जुर्माना
	सामान्य			
1	तय जगह पर रेगुलर चोरी/पकड़ पर नज़र न रखना।	शून्य	उच्च	न्यूनतम 0.5% अधिकतम 3% तक बिल मूल्य का।

2	स्टाफ ड्यूटी/पोस्ट से गायब नहीं रहेगा।	शून्य	उच्च	न्यूनतम 0.5% अधिकतम 3% तक बिल मूल्य का।
3	घटनाओं की सूचना न देना तुरंत बैंक के सिक्योरिटी ऑफिसर को बताएं।	शून्य	उच्च	न्यूनतम 0.5% अधिकतम 3% तक बिल मूल्य का।
4	स्टाफ ड्यूटी पर नहीं सोएगा	शून्य	उच्च	न्यूनतम 0.5% अधिकतम 3% तक बिल मूल्य का।
5	स्टाफ का किसी कर्मचारी/विज़िटर वगैरह के साथ बुरा बर्ताव करना।	शून्य	मध्यम	बिल का कम से कम 0.3% से ज़्यादा से ज़्यादा 3% कीमत।
6	शिफ्ट बदलने के दौरान ड्यूटी देने और लेने में फेल होना और SOPs को फॉलो करने में फेल होना	शून्य	मध्यम	बिल का कम से कम 0.3% से ज़्यादा से ज़्यादा 3% कीमत।
7	बैंक की प्रॉपर्टी/इक्विपमेंट का गलत इस्तेमाल।	शून्य	मध्यम	बिल का कम से कम 0.3% से ज़्यादा से ज़्यादा 3% कीमत।
8	कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार ट्रेनिंग न देना।	शून्य	कम	बिल का कम से कम 0.2%

				से ज़्यादा से ज़्यादा 2% कीमत।
9	स्मार्ट टर्नआउट, हर समय ID कार्ड के साथ अच्छी यूनिफॉर्म।	शून्य	कम	न्यूनतम 0.2% बिल वैल्यू का ज़्यादा से ज़्यादा 2%।

51. प्रति माह जुर्माना

एसएल ए	भारी जोखिम	महीने के बिल की कीमत का कम से कम 0.5% से ज़्यादा से ज़्यादा 3% और कुल बिल की कीमत का 10% से ज़्यादा नहीं।
	मध्यम जोखिम	महीने के बिल की कीमत का कम से कम 0.3% से ज़्यादा से ज़्यादा 3% और कुल बिल की कीमत का 10% से ज़्यादा नहीं।
	कम जोखिम	महीने के बिल की कीमत का कम से कम 0.2% से ज़्यादा से ज़्यादा 2% और कुल बिल की कीमत का 10% से ज़्यादा नहीं।

52. **इम्प्लीमेंटेशन:** ऊपर बताए गए SLA को प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी ऑफिसर मॉनिटर करेंगे और अगर कोई पेनल्टी लगती है तो उसे प्रोसेस करेंगे।

53. **वर्किंग पेनल्टी (कानूनी नियमों का पालन):** कानूनी नियमों तक सीमित वर्किंग पेनल्टी इस तरह बताई गई है:

6.

क्रम. नहीं	वैधानिक आवश्यकताएँ	विफलता सहनशीलता स्तर	जोखिम	प्रति माह जुर्माना
1	8 घंटे की सर्विस के कानूनी नियम का पालन करना होगा। प्रति दिन घंटे।	शून्य	उच्च	बिल का कम से कम 0.5% से ज़्यादा से ज़्यादा 3% कीमत।
2	कर्मचारी को दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम पर रखना।	शून्य	उच्च	बिल का कम से कम 0.5% से ज़्यादा से ज़्यादा 3% कीमत।
3	हर शिफ्ट में 100% सिक्योरिटी स्टाफ तैनात न करना।	डेली शिफ्ट के आधार पर 100% से कम अटेंडेंस	उच्च	बिल का कम से कम 0.5% से ज़्यादा से ज़्यादा 3% कीमत।

		नहीं होनी चाहिए- (जीरो)		
4	लागू कानूनों का पालन न करना	शून्य	मध्यम	बिल वैल्यू का कम से कम 0.3% से ज्यादा से ज्यादा 3%।
5	स्टाफ/कर्मचारियों को बिना वीकली-ऑफ दिए तैनात करना।	शून्य	उच्च	बिल का कम से कम 0.5% से ज्यादा से ज्यादा 3% कीमत।
6	अटेंडेंस रजिस्टर इस तरह से मॉटेन किया जाएगा कि स्टाफ का डेली ट्रैकर हो सके।	शून्य	उच्च	बिल का कम से कम 0.5% से ज्यादा से ज्यादा 3% कीमत।
7	कानूनी ज़रूरत के डॉक्यूमेंट्स एक-एक रजिस्टर रखकर देने होंगे, जैसे - वेज/ छुट्टी/ वीकली छुट्टी/ अटेंडेंस।	शून्य	उच्च	बिल का कम से कम 0.5% से ज्यादा से ज्यादा 3% कीमत।
8	कॉन्ट्रैक्टर कम्प्लायंस ऑडिट में भाग लेना।	शून्य	उच्च	बिल का कम से कम 0.5% से ज्यादा से ज्यादा 3% कीमत।
9	कानूनी ज़रूरत - समय पर डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे - PF/ESI	हर महीने की 5 तारीख से पहले	मध्यम	बिल का कम से कम 0.3% से ज्यादा से ज्यादा 3% कीमत।
10	हर महीने की 10 तारीख तक सैलरी न देना	हर महीने 10 तारीख को या उससे पहले	मध्यम	बिल का कम से कम 0.3% से ज्यादा से ज्यादा 3% कीमत।

54. प्रति माह जुर्माना

क्र ए	भारी जोखिम	महीने के बिल की कीमत का कम से कम 0.5% से ज्यादा से ज्यादा 3% और कुल बिल की कीमत का 5% से ज्यादा नहीं।
	मध्यम जोखिम	महीने के बिल की कीमत का कम से कम 0.3% से ज्यादा से ज्यादा 3% और कुल बिल की कीमत का 5% से ज्यादा नहीं।
	कम जोखिम	महीने के बिल की कीमत का कम से कम 0.2% से ज्यादा से ज्यादा 2% और कुल बिल की कीमत का 5% से ज्यादा नहीं।

55. **इम्प्लीमेंटेशन:** ऊपर बताए गए SLA को प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी ऑफिसर मॉनिटर करेंगे और अगर कोई पेनल्टी लगती है तो उसे प्रोसेस करेंगे।

फायर ऑफिसर और फायरफाइटिंग स्टाफ के कर्तव्य और जिम्मेदारियां

टेंडर देने वाले/कॉन्ट्रैक्टर/फर्म/कंपनी/एजेंसी को सलाह दी जाती है कि वे अपने रेट बताने से पहले साइट पर जाकर काम की मात्रा का अंदाज़ा लगा लें। ऊपर बताए गए काम के दायरे के अलावा, ये चीज़ें भी शामिल होंगी:

1. घटनाओं पर प्रारंभिक प्रतिक्रिया: अलार्म मिलने और प्रारंभिक अग्निशमन या आपातकालीन दृश्य गतिविधियों के बीच होने वाले कार्य।
 - (a) मिली अलार्म जानकारी (जैसे, अलार्म का टाइप, स्ट्रक्चर का टाइप, वगैरह) के आधार पर घटना का शुरुआती मूल्यांकन करना।
 - (b) सर्विस के लिए कॉल आने पर दिए गए उपकरण की ओर बढ़ना।
 - (c) इमरजेंसी से पहले और इमरजेंसी में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना।
2. वॉच ड्यूटी: आने वाले अलार्म और जानकारी पाने के लिए पहरा देना, फ़ोन का जवाब देना और एक्सेस पर नज़र रखना।
 - (a) अलार्म, कई अलार्म, EMS अलार्म और दूसरी ज़रूरी इमरजेंसी का नोटिफ़िकेशन मिलता है।
 - (b) अगर ज़रूरी हो, तो स्टेशन के लोगों को (पब्लिक एड्रेस पर या सिग्नल का इस्तेमाल करके) आने वाले अलार्म और ज़रूरी जवाब (जैसे, सब लोग जाएं, सिर्फ़ ट्रक, सिर्फ़ इंजन, वगैरह) के बारे में बताएं।
 - (c) अगर ज़रूरत हो, तो आंसर्स डिपार्टमेंट और बाहर के फ़ोन पर संपर्क करें।
3. ऑन सीन कम्युनिकेशन: इमरजेंसी सीन पर बातचीत करके मशीन और लोगों के बीच सही तालमेल पक्का करता है।
 - (a) इमरजेंसी की जगह पर पहुंचने पर कमांड ऑफिसर से जानकारी (जैसे, लोगों और सामान के असाइनमेंट के बारे में) लेता है।
 - (b) इमरजेंसी में दूसरे फायर स्टाफ से हालात, साइज़ वगैरह के बारे में बात करना।
 - (c) इमरजेंसी में सीनियर अधिकारियों से ऑर्डर पहुंचाना।
4. पंप ऑपरेशन: फायर हाइड्रेंट से उपकरण को जोड़ता या हुक करता है और कपलिंग, होज़, स्पेनर रिच और दूसरे टूल्स का इस्तेमाल करके सही प्रेशर और वॉल्यूम में पानी सप्लाई करने के लिए पंप चलाता है।
 - (a) यह पक्का करने के लिए कि हाइड्रेंट काम कर रहा है, उसे खोलता और फ्लश करता है।
 - (b) हाइड्रेंट प्रेशर से होज़ में पानी भरता है।
 - (c) पंप चालू करता है।
 - (d) कंट्रोल पैनल (जैसे, पानी का टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर गेज, फ्यूल गेज, हाइड्रेंट प्रेशर) को मॉनिटर करता है।

- (e) सप्लाई से उपकरण तक सप्लाई लाइन जोड़ता और बिछाता है।
- (f) पंपिंग के दौरान होने वाली किसी भी समस्या के बारे में अधिकारी को सूचित करें।
- (g) अधिकारी के आदेश पर पंप बंद कर देता है।

5. दस्तावेजीकरण

काम पर रखे गए फायरमैन को फायर सुपरवाइजर की देखरेख में बेसिक डॉक्यूमेंट्स को मंटेन करना आना चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो फायरमैन को फायर, सिक्योरिटी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स/इक्विपमेंट को एक व्यक्ति/जगह से दूसरे व्यक्ति/जगह तक ले जाने के लिए तुरंत रनर की तरह काम करना चाहिए। फायरमैन को इंग्लिश और हिंदी बोलनी आनी चाहिए।

6. नली (आग बुझाने की मशीन) संचालन: आपातकालीन दृश्य में पानी, फोम, और अन्य बुझाने वाले एजेंट देने के लिए लाइन खींचता है या बुझाने की मशीन का उपयोग करता है।

- (a) ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होज़ का टाइप (साइज़) और लंबाई तय करता है।
- (b) होज़ बेड से होज़ बाहर खींचता है।
- (c) सही नोजल और नोजल सेटिंग तय करता है।
- (d) होज़ लाइन को नोजल से जोड़ता है।
- (e) ज़रूरत/सही होने पर स्टैंडपाइप से कनेक्ट होता है।
- (f) सही ऑपरेशन पक्का करने के लिए चार्जिंग से पहले या आग बुझाने के दौरान होज़ लाइन से फ्लेक्स निकाल दे।
- (g) देखकर, सूँघकर या किसी और खतरे (जैसे गैस लीक) का पता लगाता है। धुआं, आवाज़, आग, गैस, भाप वगैरह सुनना।
- (h) घटना को बुझाने, रोकने और/या कंट्रोल करने के लिए एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करता है।

7. मैनुअल सीढ़ी संचालन: खोज, बचाव और अन्य कार्यों को करने के लिए मैनुअल सीढ़ियों को ले जाना, उठाना, फैलाना और चढ़ना।

- (a) घटनास्थल पर ज़रूरी मैनुअल सीढ़ी का टाइप और साइज़ तय करता है।
- (b) घटनास्थल पर मैनुअल सीढ़ी की सही जगह तय करना।
- (c) घटनास्थल पर मैनुअल सीढ़ी को उठाना और उसकी जगह पर रखना।
- (d) मैनुअल सीढ़ी को एंकर और सुरक्षित करना (यानी बांधना)।
- (e) रेस्क्यू और दूसरे ऑपरेशन करने के लिए मैनुअल सीढ़ी चढ़ना।

8. शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों/ग्राहकों को सहायता।

अगर ज़रूरत हो, तो ड्यूटी पर मौजूद फायरमैन को, जब वह इमरजेंसी में न हो, दिव्यांग स्टाफ/कस्टमर्स की मदद करनी चाहिए।

9. ज़बरदस्ती घुसना (अगर ज़रूरी हो): दरवाज़े खोलना, काटना या तोड़ना, या किसी और तरह से इमारतों, गाड़ियों और दूसरी फंसी हुई जगहों में घुसना ताकि पीड़ितों को ढूँढा और बचाया जा सके और इमरजेंसी की जगह तक पहुँचाया जा सके - मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करके।

10. वेंटिलेशन: खिड़कियां खोलना या तोड़ना, छतों में छेद करना, दीवारों या दरवाज़ों को तोड़ना, और कोहरे की धारा को खिड़की से बाहर निकालना या खिड़कियों या दरवाज़ों में पंखे लटकाना ताकि इमारतों या फंसी हुई जगहों से गर्मी, धुआं और/या गैस निकल सके।

- (a) खतरे और फायर स्टाफ की जगह, छत के टाइप और बिल्डिंग की बनावट के आधार पर वेंटिंग स्ट्रक्चर के लिए सबसे अच्छी जगह तय करता है।
- (b) मैनुअली या उपलब्ध रिसोर्स का इस्तेमाल करके विंडोज़ और एंट्री के दूसरे पॉइंट खोलता है।
- (c) मौजूद रिसोर्स का इस्तेमाल करके खिड़कियां और एंट्री के दूसरे पॉइंट तोड़ता है।
- (d) हवादार बनाने के लिए दीवारों, छत और दूसरे स्ट्रक्चर को काटता है।
- (e) पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर के लिए पंखे का इस्तेमाल करता है।

11. सर्च: पीड़ितों का पता लगाने और घटना के बारे में और जानकारी पाने के लिए, स्टैंडर्ड सर्च प्रोसेस को फॉलो करते हुए, दिए गए एरिया में सर्च किया जाता है।

- (a) मकसद पूरे करने के लिए ज़रूरी सर्च प्रोसेस या स्ट्रेटेजी तय करता है।
- (b) आग लगने की जगह, या दूसरे खतरे, और एक्सटेंशन के लिए स्ट्रक्चर खोजता है।
- (c) आग या दूसरे खतरे वाली जगह पर होश में और बेहोश पीड़ितों को ढूँढना, और तय जगह को हाथों, पैरों या औजारों से साफ करना।
- (d) कर्मचारियों की जवाबदेही बनाए रखने के लिए एक टीम/कंपनी के तौर पर मिलकर काम करें।

12. बचाव: पीड़ितों को इमरजेंसी एरिया से अंदर के रास्ते (सीढ़ियां, हॉलवे, वगैरह) या, अगर ज़रूरी हो, तो सीढ़ियों, आग से बचने के रास्तों, या मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करके बचने के दूसरे तरीकों से मदद करना, उठाना, ले जाना या घसीटना। मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करके जान बचाने के लिए पीड़ितों को गाड़ियों, गुफा में गिरने, गिरी हुई इमारतों या दूसरी फंसी हुई चीज़ों से निकालना।

- (a) आग, धमाके, खतरनाक केमिकल वगैरह के खतरे की वजह से लोगों को घटनास्थल से निकालना।
- (b) गांठों और बचाव के सामान का इस्तेमाल करके पीड़ितों या फायर कर्मियों को ऊपर उठाना या नीचे उतारना।
- (c) इमरजेंसी सीन से पीड़ितों को घसीटकर या उठाकर ले जाना।
- (d) पीड़ितों को स्ट्रेचर, बैकबोर्ड, बास्केट वगैरह पर लिटाता है।
- (e) सुरंगों, पाइपों, खुदाई या दूसरी जगहों में फंसे पीड़ितों को निकालने के लिए मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करके खुदाई करना।
- (f) ज़रूरत पड़ने पर, जान बचाने वाले तरीकों का इस्तेमाल करके डूबते हुए लोगों को बचाता है।

सामान और दूसरी प्रॉपर्टी को हटाना और ढकना ; स्ट्रक्चर में छेदों को भरना; खराब स्ट्रक्चरल पार्ट्स को स्थिर करना; और मौजूद रिसोर्स का इस्तेमाल करके नुकसान को कम करने के लिए पानी को दूसरी तरफ मोड़ना या साफ करना। प्रॉपर्टी पर सैल्वेज कवर फैलाना।

- (a) पानी या दूसरे नुकसान से बचाने के लिए फर्नीचर और दूसरी चीजों को हटाता है।
- (b) हुक, कुल्हाड़ी, आरी और दूसरे औजारों का इस्तेमाल करके कमज़ोर और खतरनाक स्ट्रक्चरल पार्ट्स (जैसे, फर्श, दीवारें, छतें, ओवरहैंग और सीढ़ियां) को तोड़ना ।

14. ओवरहॉल: दीवारों और छतों को खोलना , फर्श को काटना या उखाड़ना और मलबे को हटाना या पलटना ताकि छिपी हुई फाइलों की जांच की जा सके जो हुक, कुल्हाड़ी, आरी और पिचफोर्क का इस्तेमाल करके फिर से जल सकती हैं या फैल सकती हैं।

- (a) आग फैलने के लिए खुली जगहों, दीवारों, खुली जगहों की जांच और तलाशी लेता है।
- (b) आग और धुएं को देखकर, महसूस करके या सूंघकर किसी भी छिपी हुई आग को ढूंढता है और बुझाता है।
- (c) कुल्हाड़ी, पाइक पोल/सीलिंग हुक वगैरह से छत, दीवारें वगैरह खोलकर हॉट स्पॉट और दूसरी खतरनाक जगहों को दिखाना।
- (d) इमारतों से जले हुए या सुलगते मलबे को हटाता और बुझाता है।

15. सफाई/पिक अप: सामान को उठाना, साफ करना और गाड़ी में वापस रखना और होज़ को रोल या मोड़ना, ताकि कंपनी वापस सर्विस में जा सके।

- (a) स्ट्रक्चर से लाइनों को पीछे हटाता है।
- (b) इस्तेमाल के बाद होज़ को रोल करके रखता है और सही गाड़ी में वापस रखता है।
- (c) यह तय करता है कि घटना के समय इस्तेमाल किए गए सभी होज़ मौजूद हैं और उनका हिसाब है।
- (d) सप्लाई और प्रॉपर्टी को साफ करके इस्तेमाल करने लायक हालत में सही गाड़ियों में वापस रखता है।

5. उपकरण को साफ करता है।

16. इमरजेंसी मेडिकल केयर: मरीज़ की पूरी जांच करता है और जिन लोगों को मेडिकल केयर की ज़रूरत है और/या जो मेडिकल केयर में मदद चाहते हैं, उनके लिए सही मेडिकल केयर देता है।

- (a) मेडिकल और/या चोट के हिसाब से मरीज़ का आकलन करें और उसे प्राथमिकता दें।
- (b) ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीजन एडजंक्ट का इस्तेमाल करके, ऑक्सीजन थेरेपी या असिस्टेड वेंटिलेशन में दखल देता है।
- (c) जानलेवा ब्लीडिंग की पहचान करता है और सही तरीके से इलाज करता है।
- (d) पल्स लेस, एपनोइक मरीज़ की पहचान करता है और कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन देता है।
- (e) मरीज़ की रिस्पॉन्सिवनेस (जागा हुआ, अलर्ट और ओरिएंटेड बनाम अनरिस्पॉन्सिव) का मूल्यांकन, बोलने और दर्द वाली चीज़ों पर मरीज़ के रिस्पॉन्स के आधार पर किया जाता है।

- (f) यह तय करता है कि मरीजों को इमरजेंसी या नॉन-इमरजेंट ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है या नहीं।
- (g) मरीज की इमोशनली और फिजिकली अच्छी सेहत बनाए रखने का काम करता है।
- (h) घड़ी, स्टेथोस्कोप और किसी भी दूसरे मौजूद रिसोर्स का इस्तेमाल करके मरीज के वाइटल साइन्स की जांच करता है।

17. इक्विपमेंट मेंटेनेंस: सही और सुरक्षित ऑपरेशन पक्का करने के लिए फायर हाइड्रेंट सिस्टम, एक्सटिंग्विशर समेत पर्सनल गियर और इक्विपमेंट की जांच, सफाई और मेंटेनेंस करना।

- (a) अग्निशामक यंत्रों का दृश्य निरीक्षण
- (b) टर्नआउट गियर को उपकरण पर या उसके पास रखता है।
- (c) यंत्रों की जाँच और वजन
- (d) मेडिकल इक्विपमेंट चेक करता है।
- (e) कॉर्ड और पंखों की हालत की जांच करता है।
- (f) उपकरण पर होज़ चेक करता है (सही बिछावन और मात्रा)।
- (g) पावर इक्विपमेंट को चेक और मेंटेन करता है।
- (h) दूसरे पोर्टेबल इक्विपमेंट की जांच और आम मेंटेनेंस करना (जैसे, तेल का लेवल, ग्रीस वगैरह की जांच करना)।
- (i) एक उपकरण से दूसरे उपकरण में इक्विपमेंट और सप्लाई का बदलाव।

18. उपकरण रखरखाव: सही और सुरक्षित ऑपरेशन पक्का करने के लिए उपकरण को चेक, साफ़ और मेंटेन करता है।

- (a) रोज़ाना नॉर्मल उपकरण चेक करता है (जैसे, तेल, फ्यूल और पानी का लेवल; सही प्रेशर और लुब्रिकेशन; बैटरी; लाइट; सायरन; ब्रेक; टायर; वगैरह)।
- (b) हर हफ़्ते नॉर्मल उपकरण चेक करता है (जैसे, हाइड्रोलिक फ्लूइड लेवल)।
- (c) इंजन की पानी पंप करने की क्षमता की जांच करता है।
- (d) इंजन पंप प्रेशर चेक करता है।
- (e) उपकरण में इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल समस्याओं के बारे में अधिकारी को सूचित करना।
- (f) उपकरण की ज़रूरी मरम्मत के बारे में अधिकारी को बताएं।
- (g) ऑफिसर को बताएं कि मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से डिवाइस को सर्विस से बाहर रखने की ज़रूरत है।
- (h) सभी फायर एक्सटिंग्विशर को बाहर से साफ़ करें और प्रेशर गेज से प्रेशर चेक करें, प्रेशर कम होने पर ऑफिसर को बताएं।

19. स्टेशन का रखरखाव और काम: घर की सुविधाओं की जांच, सफाई और रखरखाव करना। इसमें घर के रोज़ाना के काम करना शामिल है।

- (a) उपकरण बे और कमरों की सफाई करता है।

(b) फायर हाउस यार्ड की सफाई और देखभाल करना।

(नीचे दिए गए पॉइंट्स सिर्फ फायर सुपरवाइज़र के लिए हैं)

20. बिल्डिंग और आग से बचाव के डिवाइस का इंस्पेक्शन: समय-समय पर या उनके काम के दौरान बिल्डिंग में आग से बचाव/खतरनाक चीज़ों के कोड के उल्लंघन या खतरों की जांच करना। ऑपरेशनल इस्तेमाल के लिए अलार्म, हाइड्रेंट, स्प्रींकलर सिस्टम और स्टैंडपाइप सिस्टम की जांच करना।

(a) आग के खतरों की पहचान करने और उन्हें हटाने/ आग और बिल्डिंग कोड के उल्लंघन से बचाने के लिए कदम उठाने के लिए रेगुलर तौर पर पूरी जगह का इंस्पेक्शन करना।

(b) मालिकों के अनुरोध पर इमारतों का निरीक्षण करता है।

(c) कोड तोड़ने के शक में बिल्डिंग्स की जांच करता है।

(d) कोड के उल्लंघन को पहचानता है (जैसे बाहर निकलने के रास्ते बंद होना, केमिकल का गलत स्टोरेज वगैरह)।

21. पब्लिक रिलेशन्स: ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल होना जिनका स्टाफ़ के बीच डिपार्टमेंट की इमेज पर असर पड़ता है। ऐसी एक्टिविटीज़ में स्टाफ़ को जानकारी देना, मदद या जानकारी मांगने वाले स्टाफ़ को मदद और सपोर्ट देना और कम्युनिटी ग्रुप्स और RBI फ्रेटरनिटी के दूसरे सदस्यों के सामने प्रेजेंटेशन देना शामिल है।

(a) इमरजेंसी में परेशान लोगों से निपटना।

(b) फायर स्टेशन में अधिकारियों से मिलते हैं, टूर कराते हैं और जानकारी देते हैं।

(c) सर्विस रन पर इंस्पेक्शन करने वाले अधिकारियों या स्टाफ़ को जानकारी देता है।

(d) डिपार्टमेंट की ओर से पब्लिक प्रेजेंटेशन देना और अपैरेट्स और इक्विपमेंट का डेमोंस्ट्रेशन करना।

22. ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट: जॉब से जुड़ी स्किल्स और काबिलियत बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग ड्रिल्स और क्लास में हिस्सा लेना। डिपार्टमेंट के काम और प्रोसेस में नए डेवलपमेंट से अपडेट रहने के लिए इंटरनल मीमो और बुलेटिन पढ़ना। लेक्चर, सेमिनार, कोर्स वगैरह में शामिल होना और फायर सर्विस में अपडेट रहने के लिए बाहरी डॉक्यूमेंट्स (जैसे प्रोफेशनल ट्रेड पब्लिकेशन) पढ़ना।

(a) लेटेस्ट फायर-फाइटिंग इक्विपमेंट और टेक्नीक की जानकारी रखता है।

(b) फायर कंट्रोल से जुड़े बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बेसिक जानकारी रखता है।

(c) केमिकल्स और दूसरे खतरनाक मटीरियल्स की बेसिक जानकारी रखता है।

(d) रेगुलर ट्रेनिंग ड्रिल और सेशन में शामिल होते हैं और सिखाते हैं।

(e) फिजिकल फिटनेस सेशन देता है और उनमें हिस्सा लेता है।

(f) स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में शामिल होना (जैसे CPR सर्टिफिकेशन, स्पेशल स्कूल, वगैरह)

(g) डिपार्टमेंट के अपडेट्स से अवगत रहने के लिए फायर डिपार्टमेंट के अंदरूनी बुलेटिन, मीमो वगैरह को रिव्यू करता है।

(h) फायर सर्विस में हो रहे नए डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए प्रोफेशनल जर्नल और पब्लिकेशन (जैसे फायर कमांड) पढ़ता है और उन्हें सीनियर अधिकारियों को उपलब्ध कराता है।

23. डॉक्यूमेंटेशन: फायर सुपरवाइजर को आग से जुड़े मामलों से जुड़ा पूरा डॉक्यूमेंट सिस्टम में डालना चाहिए। उसे कंप्यूटर का इस्तेमाल करना आना चाहिए और जब भी फायर ऑडिट हो, उसमें मदद करनी चाहिए। उसे हिंदी और इंग्लिश बोलने और लिखने में अच्छी तरह से आना चाहिए।

24. ऐसे अन्य आकस्मिक/संबंधित कार्य जो अग्निशमन के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

मैंने/हमने ई-प्रोक्योरमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन्स, बिडर्स के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन्स, इवैल्यूएशन/सिलेक्शन क्राइटेरिया, काम का बड़ा स्कोप, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस, ऊपर बताई गई एक्स्ट्रा कंडीशंस पढ़ ली हैं और अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो उसे पूरा करने के लिए उन्हें मान लेते हैं।

स्थान: टेंडर देने वाले का नाम और हस्ताक्षर

तारीख: (कृपया सभी पेज के नीचे साइन करें)

स्कैन किए गए कॉपी (पीडीएफ प्रारूप) होना चाहिए अपलोड करते समय एमएसटीसी ई-कॉमर्स के माध्यम से ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करना पोर्टल.

तकनीकी बोली का फॉर्म – 1
(टेंडर के लेटर हेड पर दिया जाए)

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिजर्व बैंक,
दूसरी मंजिल, जैक्सन गेट बिल्डिंग,
लेनिन सरानी,
अगरतला – 799 001

प्रिय महोदय ,

अगरतला में आरबीआई ऑफिस परिसर में फायर-फाइटिंग स्टाफ (फायर सेफ्टी सर्विस देने के लिए) देने के लिए सालाना सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ई-टेंडर ।

ऊपर बताई गई बातों के जवाब में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगरतला द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों से पूरी तरह सहमत होकर:

- a. मैं/हम सर्टिफाई करते हैं कि इस बिड पर साइन करने से पहले, मैंने/हमने टेंडर डॉक्यूमेंट में दिए गए सभी टर्म्स एंड कंडीशंस और इंस्ट्रक्शन्स को पढ़ और पूरी तरह समझ लिया है और उनका पालन करने का वादा करते हैं।
- b. मैं/हम समझते हैं कि मिनिमम वेज का पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट/दूसरी संबंधित अथॉरिटीज़ द्वारा समय-समय पर तय किए गए टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से करना होगा। इसके अलावा, मैं/हम यह भी समझते हैं कि सभी कानूनी पेमेंट जैसे EPF /ESI /बोनस /ग्रेच्युटी, छुट्टी, रिलीविंग चार्ज, यूनिफॉर्म, वगैरह, भी मुझे/हमें अलग-अलग कानूनों के तहत बताए गए तरीके से करने होंगे।
- c. **52,000/- रुपये (रु बावन हजार) की बयाना राशि सिर्फ NEFT/ नेट बैंकिंग से जमा कराऊंगा/करेंगे**
- d. अनुबंध प्राप्त होने पर, मैं /हम एक प्रदर्शन बैंक गारंटी अर्थात अनुबंध मूल्य का 5% प्रस्तुत करूंगा जो छह वर्षों के लिए वैध होगा। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि से ज्यादा महीनों तक।
- e. मैं/हम यह भी समझते हैं कि महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगरतला को बिना कोई कारण बताए मेरी/हमारी टेंडर बिड को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है और उनका फैसला मुझे/हमें मानना होगा।
- g. मेरे/हमारे पास एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड/एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस/सर्विस टैक्स/GST वगैरह के लिए वैलिड रजिस्ट्रेशन है, जिसकी कॉपी इसके साथ अटैच हैं।
- h. मैं/हम सहमत हैं और वादा करते हैं कि अगर हमारी बोली सफल होती है और स्वीकार की जाती है, तो हम आग बुझाने/सुरक्षा का इंतज़ाम करेंगे। बैंक की ज़रूरत के हिसाब से सर्विस।

- i. मैं/हम यह भी समझते हैं कि अगर मैं/हमारी तरफ से तय समय के अंदर एग्रीमेंट पूरा नहीं कर पाया या मैं/हमारी तरफ से काम ठीक से नहीं कर पाया या एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन होने पर बैंक गारंटी का इस्तेमाल नहीं कर पाया, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट बैंक ज़ब्त कर लेगा।

आपका विश्वासी,

जगह: टेंडर देने वाले का नाम और सिग्नेचर तारीख: (कृपया सभी पेज के नीचे साइन करें)

स्कैन किए गए कॉपी (पीडीएफ प्रारूप) होना चाहिए अपलोड करते समय एमएसटीसी ई-कॉमर्स के माध्यम से
ऑनलाइन
ई-टेंडर जमा करना पोर्टल.

तकनीकी और वित्तीय बोलियों के संबंध में सामान्य निर्देश
(ई-टेंडरिंग प्रोसेस के संबंध में पढ़ा जाए)
(स्कैन करके अपलोड किया जाना है)

1. भाग- I (तकनीकी बोली)

अगरतला में RBI ऑफिस परिसर के लिए फायरफाइटिंग स्टाफ (फायर सेफ्टी सर्विस देने के लिए) देने के लिए कंपनियों/फर्मों/एजेंसियों से ई-टेंडर (ओपन-ट्विन बिड सिस्टम) मंगाए गए हैं। यह शुरुआती एक साल के लिए है, यानी **1 जनवरी, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक होगा**। हालांकि, कॉन्ट्रैक्ट को दो साल के लिए, एक बार में एक साल के लिए, या बैंक को जरूरी लगने वाले किसी और समय के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते टेंडर देने वाला ठीक-ठाक काम करे और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन करे। कॉन्ट्रैक्ट की हर साल की अनुमानित कीमत ₹26,00,000/- (सिर्फ छब्बीस लाख रुपये) है।

1.1. आउटसोर्सिंग एजेंसी (जिसे आगे “एजेंसी” कहा जाएगा) अपने रोजगार के तहत प्रशिक्षित, वर्दीधारी अग्नि सुरक्षा कर्मियों को उपलब्ध कराएगी और इस दस्तावेज में दर्शाए अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक, अगरतला (जिसे आगे “बैंक” कहा जाएगा) के मुख्य कार्यालय परिसर में इमारतों, उपकरणों, सामग्रियों और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करेगी और उक्त परिसर की निगरानी और निगरानी करेगी।

1.2. टेंडर में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो कंपनियाँ/फर्म/एजेंसियाँ नीचे दिए गए प्री-क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पूरा करती हैं, वे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं।

क्रम. नहीं।	मानदंड	मांग
1.	पिछले अनुभव की अवधि	(a) एयरपोर्ट, डिफेंस, PSUs, एम्बेसी, पब्लिक/प्राइवेट सेक्टर बैंक, IT सेक्टर, और दूसरी जानी-मानी बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में इसी तरह के कामों का कम से कम तीन (03) साल का अनुभव (30 सितंबर 2025 तक) होना चाहिए। एप्लिकेंट को अपनी क्लाइंट लिस्ट और पिछले तीन सालों में उनके द्वारा किए गए काम की डिटेल्स दिखाने वाले डॉक्यूमेंट्री सबूत देने होंगे। (b) एजेंसी सही सरकारी अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए और एक जानी-मानी और प्रतिष्ठित ऑर्गनाइज़ेशन होनी चाहिए।

2.	हर पूरे हुए काम की कम से कम कीमत।	(a) एयरपोर्ट, डिफेंस, PSUs, एम्बेसी/कॉन्सुलेट, पब्लिक/प्राइवेट सेक्टर बैंक, IT सेक्टर, और दूसरी जानी-मानी बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों जैसे किसी <u>एक इंस्टॉलेशन/एस्टैब्लिशमेंट में पिछले तीन सालों से लगातार फायरफाइटिंग सर्विस</u> देना /देना, जिसमें कम से कम 12 फायरफाइटिंग कर्मचारी हों या ऐसा काम जिसकी लागत ₹52,00,000/- (सिर्फ बावन लाख रुपये) से कम न हो। या (b) हवाई अड्डे, रक्षा, सार्वजनिक उपक्रमों, दूतावासों / वाणिज्य दूतावासों, सार्वजनिक / निजी क्षेत्र के बैंकों, आईटी क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित बड़े जैसे किसी भी <u>दो प्रतिष्ठानों / प्रतिष्ठानों</u> में अग्निशमन सेवाएं प्रदान करना / प्रदान की गई निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा लगातार और एक साथ तीन साल तक 06 अग्निशमन कर्मियों की तैनाती या ऐसे काम जिनकी लागत प्रति वर्ष ₹ 26,00,000/- (केवल छब्बीस लाख रुपये) से कम न हो। या (c) हवाई अड्डे, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों, आईटी क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों जैसे किसी भी तीन प्रतिष्ठानों / प्रतिष्ठानों में लगातार और एक साथ तीन साल के लिए 04 अग्निशमन कर्मियों की तैनाती या हर साल ₹ 15,00,000/- (केवल पंद्रह लाख रुपये) से कम लागत वाले काम के साथ अग्निशमन सेवाएं प्रदान करना।
3.	वार्षिक कारोबार	पिछले 3 सालों में यानी 31 मार्च, 2025 तक, फायरफाइटिंग सर्विसेज़ एक्टिविटीज़ से कम से कम ₹26,00,000/- (सिर्फ छब्बीस लाख रुपये) का सालाना टर्नओवर होना चाहिए। (ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होंगी)
4.	ईएसआईसी, ईपीएफओ पंजीकरण	एजेंसी ESIC और EPFO के साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी)

5.	कार्यालय का स्थान	एजेंसी का अगरतला में एक ऑफिस (रजिस्टर्ड/ कॉर्पोरेट/ ब्रांच/ रीजनल/ ज़ोनल/ रिप्रेजेंटेटिव/ संपर्क) होना चाहिए। (पते के प्रूफ की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी)
----	-------------------	--

1.5 कंपनी/फर्म/एजेंसी का विवरण:

- कंपनी/फर्म/एजेंसी की पूरी जानकारी, डिटेल में, जमा करनी होगी। कंपनी के मामले में, कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मेमोरेडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और सभी डायरेक्टर्स और जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी जमा करनी होगी। पार्टनरशिप फर्म के मामले में, पार्टनरशिप डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर कोई हो, और फर्म बनाने वाले सभी पार्टनर्स की जानकारी; और एजेंसी या प्रोप्राइटरशिप के मामले में, उसमें शामिल व्यक्ति/व्यक्तियों की जानकारी, नाम और पते वगैरह जमा करने होंगे (स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी)।
- प्री-क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के हिसाब से काम के अनुभव की डिटेल, वर्क ऑर्डर, डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट के साथ जमा करनी होंगी। अगर आपको पहले कभी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए किसी दूसरे सेंटर पर काम करने का अनुभव है, तो उसके डॉक्यूमेंट्री सबूत के साथ डिटेल भी देनी होंगी (स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी)।
- बैंकर्स के नाम और पते के बारे में पूरी जानकारी, जैसे नाम, वर्तमान कॉन्टैक्ट / पोस्टल एड्रेस, ई-मेल ID, कॉन्टैक्ट एग्जीक्यूटिव के टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर वगैरह (यानी वे लोग जिनसे बैंक ज़रूरत पड़ने पर उनके बैंकर्स के ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकता है) दी जानी चाहिए (स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी है)।

1.6 अपलोड किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स के लिए चेकलिस्ट। ई-टेंडर जमा करते समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन की हुई कॉपी 'mstcecommerce' पोर्टल के ज़रिए PDF फॉर्मेट में ऑनलाइन अपलोड करनी होगी (हर फ़ाइल का साइज़ 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए):

- पिछले 3 लेखा वर्षों यानी 2022-23, 2023-24, 2024-25 के लिए लेखा परीक्षित या सीए प्रमाणित लेखा विवरण।
- पिछले तीन सालों का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाइल किया गया इनकम टैक्स रिटर्न (यानी 2022-23, 2023-24, 2024-25)।
- लागू टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे PAN, GST, वगैरह।
- संबंधित अथॉरिटी द्वारा जारी कंपनी/फर्म/एजेंसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
- EPF रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ESI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
- निविदा देने वाली कंपनी का विवरण – अनुलग्नक VI
- बैंकर का विवरण - अनुलग्नक VII
- टेक्निकल इवैल्यूएशन के लिए चेकलिस्ट – एनेक्सर VIII
- क्लाइंट सर्टिफिकेट - अनुलग्नक IX

- j) टेंडर देने वाले के बैंकर्स द्वारा खास तौर पर इस काम के लिए जारी किया गया बैंकर सर्टिफिकेट (सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट), जिसकी अनुमानित लागत ₹26,00,000/- के बराबर हो, यह टेंडर देने वाले की फाइनेंशियल हालत दिखाने के लिए हो। - एनेक्सर X
- k) वर्क ऑर्डर, कम्प्लीशन सर्टिफिकेट और दूसरी डिटेल्स के साथ वर्क एक्सपीरियंस से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स।
- l) टेंडर डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने वाले लोगों के नाम पर कंपनी/फर्म की सील के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/ऑथराइजेशन।
- m) कोई और टेक्निकल जानकारी जो टेंडर देने वाला देना चाहता है।

1.7 जो एप्लिकेंट अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें अपनी ज़रूरी एलिजिबिलिटी के सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्री सबूत देकर बैंक को संतुष्ट करना होगा और अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो बैंक उनका कैंडिडेट रिजेक्ट करने का अधिकार रखता है।

1.8 इच्छुक टेंडर देने वालों को ₹52,000/- (बावन हजार सिर्फ) की रकम जमा करनी होगी, जो सिर्फ NEFT/ नेट बैंकिंग से देनी होगी।

लाभार्थी का नाम- भारतीय रिजर्व बैंक

लाभार्थी खाता संख्या – 8614038

IFSC - RBIS0AGPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है)

1.9 बिना EMD के टेंडर किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

1.10 अगर बिडर टेंडर वैलिडिटी के समय के दौरान अपनी बिड वापस ले लेता है या कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने या काम देने में फेल हो जाता है, तो EMD ज़ब्त हो जाएगी।

2. भाग- II (वित्तीय बोली)

1.1 ऑनलाइन टेंडर के पार्ट-II में सिर्फ फॉर्मेट II (एनेक्स XI) में सर्विस प्रोवाइडर के बताए गए रेट होने चाहिए।

1.2 टेंडर किए गए रेट में कंपनी/एजेंसी/फर्म की सभी लायबिलिटीज़ शामिल होंगी, जैसे कि स्टैच्युटरी लायबिलिटीज़ जैसे मिनिमम वेज, ESI और EPF (अगर लागू हो) कंटीब्यूशन, वगैरह। इस बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी कानूनों/गाइडलाइन्स का रेफरेंस लिया जा सकता है। रेट में साइट पर ज़रूरी मटीरियल, लेबर और टूल्स/मशीनरी वगैरह की कॉस्ट भी शामिल होगी। रेट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश किए गए मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अनुसार होने चाहिए। कृपया ध्यान दें कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तय रेट कोट नहीं किए जाने हैं।

1.3 जो फाइनेंशियल बिड मिनिमम वेज (सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के अनुसार), EPF, ESI, बोनस वगैरह जैसी कानूनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें रिजेक्ट किया जा सकता है।

- 1.4 कंपनी/एजेंसी/फर्म के जमा किए गए बिलों से सभी कानूनी कटौती की जाएगी। इसलिए, फाइनेंशियल बिड में सब कुछ शामिल होगा।
- 1.5 टेंडर की जांच, जांच, तुलना और टेंडर की क्वालिफिकेशन में मदद के लिए, बैंक अपनी मर्जी से किसी भी बिडर से उसके टेंडर के बारे में क्लैरिफिकेशन मांग सकता है, और जवाब के लिए सही समय दे सकता है। बिडर की तरफ से दिया गया कोई भी क्लैरिफिकेशन, जो बैंक के लिए सही न हो, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। बैंक की क्लैरिफिकेशन और जवाब के लिए रिक्वेस्ट लिखकर होगी। टेंडर की कीमतों या चीजों में कोई बदलाव नहीं मांगा जाएगा, ऑफर नहीं किया जाएगा, या इजाजत नहीं दी जाएगी।
- 1.6 अगर कोई बिडर बैंक की रिक्वेस्ट में बताई गई तारीख और समय तक अपने टेंडर के बारे में जानकारी नहीं देता है, तो उसका टेंडर रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

2. **टेंडर खोलना।** टेंडर खोलने के लिए सेक्शन-1 में बताए गए तरीकों के अनुसार।

- 2.1 टेंडर की वैलिडिटी: टेंडर, कीमतों के साथ, पार्ट-1 खुलने की तारीख से शुरू में 90 दिनों के लिए वैलिड रहेगा, इस समय को टेंडर देने वाले आपसी लिखित सहमति से और बढ़ा सकते हैं और टेंडर देने वाला इस समय के दौरान टेंडर को कैंसिल या वापस नहीं लेगा या दिए गए रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा।
- 2.2 जो टेंडर डॉक्यूमेंट टेंडर फॉर्म में दी गई शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
- 2.3 कंडीशनल बिड्स को भी सरसरी तौर पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
- 2.4 सिर्फ उन टेंडर देने वालों का पार्ट-1 (फाइनेंशियल बिड) जो टेक्निकल बिड (पार्ट-1) में क्वालिफाई करेंगे, अगली तारीख को खोला जाएगा, जिसकी जानकारी क्वालिफाई करने वाले टेंडर देने वालों को दी जाएगी।
- 2.5 बैंक सबसे कम कीमत वाला टेंडर स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं है और किसी भी टेंडर को पूरा या कुछ हिस्सा स्वीकार करने का अधिकार रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी टेंडर को रिजेक्ट करने का भी अधिकार रखता है।

टिप्पणी: सभी टेंडर देने वाले कृपया ध्यान दें कि अगर भविष्य में टेंडर में कोई भी बदलाव / सुधार जारी किया जाता है, तो उसे RBI वेबसाइट और MSTC वेबसाइट पर ऊपर दिए गए तरीके से बताया जाएगा और अखबार में नहीं छापा जाएगा।

स्थान: टेंडर देने वाले का नाम और हस्ताक्षर

तारीख: (कृपया सभी पेज के नीचे साइन करें)

स्कैन किए गए कॉपी (पीडीएफ प्रारूप) होना चाहिए अपलोड करते समय एमएसटीसी ई-कॉमर्स के माध्यम से ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करना पोर्टल.

खंड – VI

टेंडर देने वाली कंपनी/फर्म का ब्यौरा
(कृपया डॉक्यूमेंट्री सबूत अपलोड करें)

एस. नं.	विवरण/जानकारी जो भरनी है कंपनी/फर्म/एजेंसी	
1.	कंपनी/फर्म का नाम	
2.	कंपनी का प्रकार, स्वामित्व, साझेदारी आदि।	
3.	मालिक/भागीदारों का नाम और पता कंपनी के निदेशक	
4.	रजिस्ट्रेशन (फर्म, कंपनी आदि) / रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, तारीख नंबर वगैरह।	
5.	का रजिस्टर्ड ऑफिस/बिज़नेस का पता फर्म/एजेंसी/कंपनी के साथ टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर और ई-मेल, यदि कोई हो,	
6.	ऑफिस का पता जिसके ज़रिए काम होगा संभाला (अधिकृत की ईमेल आईडी के साथ) अधिकारी)	
7.	दूसरे संगठनों के साथ इसी तरह की सर्विस करने का अनुभव	
8.	पिछले 3 सालों में दूसरे ऑर्गनाइज़ेशन के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट की कुल वैल्यू	
9.	पिछले 3 सालों की बैलेंस शीट दें	
10.	फर्म के रोल पर मैनपावर। (30 सितंबर 2025 तक)	

11।	क्या आप किसी को भी फायर सर्विस दे रहे हैं? सरकारी/अर्ध-सरकारी उपक्रम/और यदि हां, तो विवरण प्रस्तुत करें ।	
12.	पैन नंबर (आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की कॉपी) कर विभाग)	
13.	भविष्य निधि पंजीकरण संख्या	
14.	ईएसआई रजिस्ट्रेशन नंबर	
15.	कॉन्ट्रैक्ट लेबर (R&A) एक्ट के तहत लाइसेंस नंबर	
16.	अगर किसी मुकदमे में शामिल हैं तो बताएं	
17.	कोई भी विवाद (कानूनी अधिकारियों के साथ भी) पेंडिंग है और कार्रवाई के स्टेज की जानकारी	

स्थान: टेंडर देने वाले का नाम और हस्ताक्षर

तारीख: (कृपया सभी पेज के नीचे साइन करें)

**स्कैन किए गए कॉपी (पीडीएफ प्रारूप) होना चाहिए अपलोड करते समय एमएसटीसी ई-कॉमर्स के माध्यम से
ऑनलाइन
ई-टेंडर जमा करना पोर्टल.**

बैंकर/बैंकरों का विवरण

विवरण	बैंकर 1	बैंकर 2
शाखा का नाम और उसकी पूरा पोस्टल एड्रेस। ब्रांच का IFSC कोड		
नाम और नौकरी का पद संपर्क व्यक्ति के साथ उसका टेलीफोन नंबर और फैक्स नं. इत्यादि.		
खाते का प्रकार और खाता नंबर।		
क्या क्रेडिट सुविधा/ एजेंसी को ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है।		
वह समय जब से एजेंसी बैंकर के साथ बैंकिंग कर रही है।		
कोई और जानकारी जो बैंडर अपने बैंकर्स के बारे में देना चाहे:		

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(नाम और मुहर के साथ)

जगह:

तारीख:

स्कैन किए गए कॉपी (पीडीएफ प्रारूप) होना चाहिए अपलोड करते समय एमएसटीसी ई-कॉमर्स के माध्यम से ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करना पोर्टल.

तकनीकी मूल्यांकन के लिए चेक-लिस्ट			
एस.नं.	मांगे गए दस्तावेज़	बोली लगाने वाले द्वारा भरा जाना है	डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की डिटेल्स PDF में (पेज नंबर/ फाइल का नाम)
1.	बयाना राशि जमा (ईएमडी)		
2.	कंपनी/फर्म/एजेंसी का ऑथराइज़्ड व्यक्ति, नाम, पद, पता और ऑफिस के टेलीफोन नंबर के साथ। अगर बिडर पार्टनरशिप फर्म/प्राइवेट या लिमिटेड कंपनी है, तो नाम, पद, पार्टनर्स/डायरेक्टर्स का पता और ऑफिस का टेलीफोन नंबर भी (पार्टनरशिप डीड/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट/MOU/MOA की कॉपी, जैसा भी लागू हो, जमा करें)		
3.	इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जारी PAN कार्ड की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के इनकम-टैक्स रिटर्न की कॉपी के साथ।		
4.	GST रजिस्ट्रेशन की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी।		
5.	कंपनी/फर्म/एजेंसी के वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी।		
6.	कॉन्ट्रैक्ट 6 लेबर (R&A) एक्ट 1970 के तहत लाइसेंस की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी, उस एम्प्लॉयर की जिसके लिए एजेंसी अभी काम कर रही है।		
7.	वैलिड EPF रजिस्ट्रेशन नंबर की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी।		
8.	वैलिड ESI रजिस्ट्रेशन नंबर की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी		

9.	पिछले 3 सालों का एवरेज टर्नओवर (फायरफाइटिंग सर्विसेज़ के लिए) हर साल कम से कम ₹26,00,000/- होना चाहिए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाइड हो।		
10.	पिछले तीन सालों यानी 2022-23, 2023-24 और 2024-25 की ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट की कॉपी		
11।	पिछले तीन सालों यानी 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के इनकम टैक्स रिटर्न		
12.	कंपनी/फर्म के रजिस्ट्रेशन की कॉपी, कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने की तारीख से कम से कम 12 महीने के लिए वैलिड होनी चाहिए।		
13.	एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार पूरे हुए कामों का एक्सपीरियंस डिटेल्स।		
14.	अगरतला में कंपनी ऑफिस का एड्रेस प्रूफ।		
15.	अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो		

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(नाम और मुहर के साथ)

जगह:

तारीख:

स्कैन किए गए कॉपी (पीडीएफ प्रारूप) होना चाहिए अपलोड करते समय एमएसटीसी ई-कॉमर्स के माध्यम से ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करना पोर्टल.

सर्विस देने वाली फर्म/एजेंसी/कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में क्लाइंट का सर्टिफिकेट

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)

भारतीय रिजर्व बैंक,

दूसरी मंजिल, जैक्सन गेट बिल्डिंग,

लेनिन सरानी,

अगरतला – 799 001

क्लाइंट का नाम और पता: -

मेसर्स से प्राप्त सेवा का विवरण

एस. नं.	विवरण	टिप्पणियाँ
1.	अग्नि सेवा का प्रकार	
2.	अनुबंध संख्या और दिनांक	
3.	समझौते की राशि फर्म/एजेंसी/कंपनी	
4.	कंपनी/एजेंसी/फर्म के साथ कब से काम कर रहे हैं	
5.	उपलब्ध कराए गए कर्मियों की संख्या क. अग्निशमन अधिकारी ख. अग्नि पर्यवेक्षक सी. प्रमुख फायरमैन घ. फायरमैन ई. अन्य प्रशिक्षित व्यक्ति च. अप्रशिक्षित व्यक्ति	
6.	पालन के संबंध में टिप्पणियाँ नियमों और शर्तों के अनुबंध	
7.	गैर-कानूनी कामों के लिए लगाया गया कोई भी जुर्माना शर्तों का पालन और अनुबंध की शर्तें	
8.	किसी भी अन्य जानकारी	

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(नाम और मुहर के साथ)

जगह:

तारीख:

स्कैन किए गए कॉपी (पीडीएफ प्रारूप) होना चाहिए अपलोड करते समय एमएसटीसी ई-कॉमर्स के माध्यम से ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करना पोर्टल.

किसी शेड्यूल्ड बैंक से बैंकर्स सर्टिफिकेट का फॉर्म

(टेंडर द्वारा टेंडर के साथ अपलोड किया जाना है)

1. कंपनी/एजेंसी/फर्म का नाम:
2. कंपनी/एजेंसी/फर्म की संरचना (चाहे साझेदारी/निजी लिमिटेड/ स्वामित्व/ पब्लिक लिमिटेड):
3. कंपनी/एजेंसी/फर्म के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम:
4. बैंकर का नाम:
5. ब्रांच का नाम और पूरा पोस्टल एड्रेस:
6. संपर्क व्यक्ति का नाम और नौकरी की उपाधि उसके टेलीफोन नंबर के साथ और ई-मेल आदि:
7. अकाउंट का टाइप:
8. अकाउंट नंबर:
9. बैंक ब्रांच का IFSC:
10. कंपनी/एजेंसी/फर्म का पिछले 3 सालों का टर्नओवर (साल के हिसाब से):
11. कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा ली जाने वाली क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा:
12. लेन-देन:
13. वह अवधि जब से कंपनी/एजेंसी/फर्म बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है:
14. कोई अन्य टिप्पणी:
15. बैंक की राय:
(क्या उपरोक्त कंपनी/एजेंसी/फर्म से मजबूत माना जाता है अनुमानित लागत के कार्यों के अनुबंध के साथ ₹ 26,00,000/- प्रति वर्ष।)

(हस्ताक्षर) बैंक के लिए

जगह:

तारीख:

1. बैंकर सर्टिफिकेट बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए।
2. पार्टनरशिप फर्म के मामले में, बैंक में दर्ज सभी पार्टनर्स के नाम शामिल करने के लिए सर्टिफिकेट।

भाग – II

वित्तीय बोली का प्रोफार्मा (प्रारूप II)

अग्निशमन कर्मचारियों की तैनाती:

ऊपर बताई गई बातों के संबंध में और आपके बताए गए नियमों और शर्तों से पूरी तरह सहमत होकर, मैं/हम नीचे दिए गए तरीके से कहते हैं:

एस. नं.	विवरण	मासिक दर (रुपये में) 'ए'	अग्निशमन कर्मचारियों की संख्या 'बी'	कुल राशि ('ए' x 'बी')
1	अग्नि पर्यवेक्षक	कृपया सर्विस चार्ज सहित ज़रूरी रेट सिर्फ ई-टेंडरिंग पोर्टल पर ही बताएं संदर्भ अनुलग्नक XII	01	कुल रकम सिस्टम द्वारा अपने आप कैलकुलेट की जाएगी
2	फायरमैन		06	
कुल योग				

कृपया ध्यान दें कि दिए गए रेट में GST शामिल नहीं होना चाहिए और GST @ 18% या GST काउंसिल द्वारा बताया गया रेट, फाइनल रेट तय करने के लिए कोट करते समय हर कोट किए गए रेट में अपने आप जुड़ जाएगा।

टिप्पणी: फाइनैशियल बिड सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भरी जाएगी

- फाइल नंबर 1/6(3)/2025-LS-II, तारीख 25/09/2025 के अनुसार बताए जाने हैं, जो सुपरवाइजर /लीडिंग फायरमैन और फायरमैन के लिए वॉच एंड वार्ड (बिना आर्म्स के) के तहत है। ये रेट्स लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार दूसरे ज़रूरी चार्ज जैसे EPF, ESI, EDLI, बोनस वगैरह के अनुसार भी होने चाहिए।
- फायर सुपरवाइजर के लिए रेट फिक्स होगा यानी पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए हर महीने एकमुश्त रकम। यह रेट ₹ 300000 /- (सिर्फ तीस हजार रुपये) से कम नहीं होना चाहिए ।
- फायर सुपरवाइजर/LFM/FM के लिए दिए गए रेट में रिलीवर चार्ज शामिल हैं। रिलीवर पोस्ट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं दिया जाएगा।
- मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि ऊपर बताई गई बेसिक मज़दूरी और VDA, भारत सरकार के श्रम और रोज़गार मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन के तहत तय मौजूदा मिनिमम मज़दूरी से कम नहीं हैं और दूसरे ज़रूरी चार्ज, जैसे EPF, ESI, EDLI, बोनस वगैरह, संबंधित कानूनी नियमों के मुताबिक हैं।
- संबंधित कानूनी कानूनों के हिसाब से नहीं पाया जाता है, तो फाइनैशियल बिड रिजेक्ट कर दी जाएगी।

वेतन विश्लेषण: केवल संदर्भ के लिए

सीनियर	विवरण	अगरतला में है क्षेत्र – सी कार्यकर्ता की श्रेणी
		अग्नि पर्यवेक्षक/एलएफएम/एफएम (वॉच एंड वार्ड – बिना हथियारों के) (रुपये और पैसे में)
1.	मूल वेतन प्लस सीजी (परिवर्तनीय महंगाई भत्ता) के अनुसार वीडिए प्रति दिन	760
2.	एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम (ESIC). (बेसिक + VDA) का 3.25%	$0.0325 \times 760 = 24.70$
3.	एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) 12% (बेसिक + VDA) (EPF कैलकुलेशन के लिए बेसिक + VDA, हर महीने Rs. 15,000/- की मैक्सिमम लिमिट के तहत है)	$0.12 \times 760 = 91.20$
4.	कर्मचारी जमा लिंकड बीमा (EDLI) (बेसिक + VDA) का 0.5% (EDLI कैलकुलेशन के लिए बेसिक + VDA की ज्यादा से ज्यादा लिमिट Rs. 15,000/- हर महीने है)	$0.005 \times 760 = 3.8$
5.	एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज (EPF और EDLI) (बेसिक + VDA) का 0.5% (बेसिक + VDA एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज कैलकुलेशन के लिए हर महीने Rs. 15,000/- की मैक्सिमम लिमिट के अधीन है)	$0.05 \times 760 = 3.8$
6.	बोनस @ 8.33% (बेसिक + VDA)	$0.0833 \times 760 = 63.31$
7.	कुल लागत/प्रति माह राशि (आइटम संख्या 1 से 6 का कुल योग)	946.81
8.	सेवा शुल्क #	
9.	कुल योग (एक महीने के लिए) बिना जीएसटी के**	

सर्विस चार्ज हर महीने % के हिसाब से होगा, जो हर व्यक्ति के टोटल खर्च/हर महीने की रकम पर होगा।

बिड लगाने वाले ध्यान दें कि ऊपर सीरियल “8” पर सर्विस चार्ज (एजेंसी चार्ज) वे रख सकते हैं और बाकी सभी चीज़ें संबंधित अधिकारियों/फायरफाइटिंग स्टाफ को देनी होंगी। एजेंसी को ऊपर दी गई टेबल के सीरियल नंबर “1” पर आइटम का कम से कम 3.85% सर्विस चार्ज के तौर पर देना होगा। इस परसेंटेज (3.85%) से कम यानी Rs. 29.26 से कम की कोई भी बिड रिजेक्ट कर दी जाएगी। यह कॉन्ट्रैक्ट के पूरे समय तक वही रहेगी। (ध्यान दें कि MSTC पोर्टल

3.85% से कम की बिड स्वीकार कर सकता है, लेकिन हिस्सा लेने वालों को एलिजिबल होने के लिए 3.85% से ज्यादा की बिड देनी होगी)।

**** कृपया ध्यान दें कि बताए गए रेट में GST शामिल नहीं होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्री सबूत दिखाने पर असल रेट पर GST वापस कर दिया जाएगा।**

टिप्पणी

1. केंद्रीय द्वारा प्रकाशित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुरूप होनी चाहिए
सरकार. कृपया ध्यान दें कि राज्य सरकार के तय रेट नहीं बताए जाने हैं।
2. मिनिमम सैलरी रेट (प्लस VDA) को चीफ लेबर कमिशनर (सेंट्रल), मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा समय-समय पर यानी हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार बदला जाएगा। फायर ऑफिसर के लिए रेट फिक्स होगा और पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान इसे बदला नहीं जाएगा।
3. रेट में फायर-फाइटिंग स्टाफ के ज़रिए काम करवाने के लिए हर तरह से मैनेजर, सुपरवाइज़री/एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देने पर होने वाला सारा खर्च शामिल होना चाहिए।
4. सर्विस चार्ज सिर्फ परसेंटेज में ही बताना है।
5. सर्विस चार्ज हर महीने % के हिसाब से होगा, जो हर व्यक्ति के टोटल खर्च/हर महीने की रकम पर होगा।
6. ई-टेंडर की फाइनेंशियल बिड में 3.85% और उससे ज्यादा सर्विस चार्ज वाले कोटेशन मान्य होंगे।
केवल विचार किया जाएगा।
7. एजेंसी को तैनात स्टाफ को पेमेंट से जुड़ी वेज स्लिप देनी होगी।
8. ESIC, BONUS, EPF, EDLI, ESI और एडमिन चार्ज के लिए लेटेस्ट लागू रेट/वेज सीलिंग भी देखें।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम और मुहर के साथ)

जगह:

तारीख: